रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26, 1977 (चैत्र 5, 1899)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26, 1977 (CHAITRA 5, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 13 फरवरी 1977 तक प्रकाशित किए गए हैं:—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 13th February 1977 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
33.	संख्या यू० 23013 (3)/77-एल० डब्ल्यू० दिनांक 14 फरवरी 1977	श्रम मन्त्रालय	केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड द्वारा एक समिति की नियुक्ति करना जो देश में कोल वाशरीज में ठेका श्रम पद्धति के कार्यकरण के प्रश्न की जांच करेगी ।
	No U-23013(3)/77-LW, dated the 14th February, 1977	Ministry of Labour	Appointment of a Committee to go into the question of Working of Contract Labour System in Coa Washeries by the Central Advisory Contract Labour Board
34.	सं० 7-ई० टी० सी० (पी० एन०)/77 दिनांक 15 फरवरी 1977 ।	वाणिज्य मन्त्रालय	1977 के दौरान खुले लाइसेंस सं० 3 के अन्तर्गत भारत से सूती धागे का निर्यात ।
	No 7-ETC (PN)/77, dated 15th February, 1977.	Ministry of Commerce	Report of Cotton Yarn from India under OGL-3, during 1977
35.	सं० 13—आई० टी० सी० (पी० एन०)/77 दिनांक 17 फरवरी 1977 ।	वाणिज्य मन्त्रालय	कच्चे ऊन का आयात अबाध लाईसेंस योजना के अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ताओं को लाईसेंस जारी करना ।
	No 13-ITC (PN)/77, dated 17th February, 1977	Ministry of Commerce.	Import of raw wool Issue of licences to actual users under the free licensing scheme
36.	सं० आर० एस० 1/1/77-एल० दिनांक 22 फरवरी 1977 ।	राज्य सभा सचिवालय	कार्यकारी राष्ट्रपति राज्य सभा सोमवार 28 फरवरी 1977 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमन्त्रित करते हैं ।
	No Rs 1/1/77-L, dated 22nd Feb , 1977	Rajya Sabha Secretariat	The acting President summons the Rajya Sabha to meet at 11 00 A.M. on Monday, the 28th Feb., 1977 at New Delhi
37.	सं० प्रति अदायगी/सा० सू०-6/77 दिनांक 26 फरवरी 1977 ।	राजस्व और बैंकिंग विभाग	सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1 दिनांक 15 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा समय-समय पर संशोधन करना।
	No Drawback/PN-6/77, dated the 28th February, 1977	Department of Revenue and Banking	Amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1, dated the 15th October, 1971 as amended from time to time.

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
	स० प्रतिअदायगी/सा० सू०-7/77 दिनांक 26 फरवरी 1977।	वित्त और बैंकिंग विभाग	सार्वजनिक सूचना स० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1 दिनांक 15 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा समय-समय पर संशोधन।
	No. Drawback/PN-7/77, dated 26th February, 1977.	Do	Amendments in the Table published in the Public Notice No Drawback/P N 1, dated the 15th October, 1971 as amended from time to time.
38.	स० 14-आई० टी० सी० (पी० एन०)/77 दिनांक 1 मार्च 1977	वाणिज्य मन्त्रालय	(1) खजूर को छोड़कर सभी प्रकार के फलों, सूखे नमकीन या परिरक्षित जो अन्यथा कहीं विशिष्टिकृत नहीं है और (2) खजूर के लिए आयात नीति को उदार बनाना—अप्रैल 1976—मार्च 1977 लाइसेंस अवधि के लिए आयात नीति।
	No 14-ITC (PN)/ 77, dated 1st March, 1977	Ministry of Commerce	Liberalisation of import policy for (i) fruits, dried salted or preserved all sorts, nos excluding dates and (ii) dates—import policy for the licensing period April, 1976—March, 1977

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियाँ प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम माँग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। माँग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil lines, Delhi Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	263
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	389
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	21
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	343
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	991
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .	1109
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	141
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1419
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	301
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	23
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1011
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	57

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	263
PART I—SECTION 2.—Notification regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	389
PART I—SECTION 3—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	21
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	343
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills . .	—
PART II—SECTION 3.—SUB SEC (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	991
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1109
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	141
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1419
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .	301
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	23
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices Issued by Statutory Bodies	1011
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	57

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 1976

स० 23-प्रेस/77—राष्ट्रपति निम्नांकित कार्मिकों को असाधारण कर्त्तव्यनिष्ठा एवं साहस के कार्यों के लिये "सेना मैडल/आर्मी मैडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं —

1 कैप्टन सुरेन्द्र सिंह (एस० एस० 22894),
महार रैजिमेंट ।

12 अक्तूबर, 1974 को कैप्टन सुरेन्द्र सिंह को एक दुर्गम क्षेत्र में स्थित विरोधियों के शिविर का पता लगाने और उस पर छापा मारने का काम सौंपा गया । उन्होंने अपने दस्ते को लेकर सफलतापूर्वक इस दुर्गम क्षेत्र को पार किया । सुबह छ बजे उन्होंने थोड़ी दूर पर स्थित खेतीहट में कुछ विरोधियों को देखा । यह दल पहाड़ के शिखर मार्ग से उतर कर लुक-छिपकर तंग और खतरनाक लम्बी घास से ढकी पर्वतीय रास्ते से आगे बढ़ा, जिस तंग घाटी से यह दल गुजरता रहा था वहां से विरोधियों के शिविर की स्थिति का कुछ भी पता नहीं चल रहा था । इसलिये कैप्टन सुरेन्द्र सिंह ने अपने दल को दो टुकड़ियों में बांट दिया और पीछे से उस क्षेत्र की तलाश शुरू की । चूंकि इस दल को शिविर तक पहुंचने के लिए नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ा, इस लिये इसकी स्थिति अनुकूल नहीं थी । पीछे की ओर जाते समय इस दल ने दो खेती-हट देखे । दल ने कुल्हों की पोजीशन से गोली चलाते हुए विरोधियों के ठिकानों पर हमला किया । विरोधियों ने भी गोली तथा हथगोलों द्वारा जवाबी हमला किया और उन पर हथगोले बरसाये । इस मुठभेड़ के दौरान कैप्टन सुरेन्द्र सिंह की स्टेन मैगजीन विरोधियों की गोली से नष्ट हो गई । हथगोले के टुकड़े से जख्मी होने के बावजूद भी कैप्टन सुरेन्द्र सिंह एक विरोधी पर झपटे और उससे हाथापाई करके उसकी बन्दूक छीन ली यद्यपि विरोधी नाले में कूद कर बच निकला लेकिन इस हमले में हथियार, गोलाबारूद और महत्वपूर्ण कागजात प्राप्त हुए ।

इस कार्रवाई में कैप्टन सुरेन्द्र सिंह ने साहस, दृढ़-निश्चय तथा उच्च-कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2 कैप्टन जसबीर सिंह (एस० एस० 23087),
कुमाऊं रैजिमेंट ।

3 अक्तूबर, 1971 को कैप्टन जसबीर सिंह को विरोधियों के एक शिविर पर छापा मारने के लिये एक दल का नेतृत्व करने को कहा गया। रास्ता काफी घने झाड़-झंखाड़ लम्बी जंगली घास तथा बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में से होकर एक बड़ी चट्टान से नीचे के नाले की ओर उतरता था । एक स्काऊट की भांति आगे बढ़ते हुए कैप्टन जसबीर सिंह एक पगडंडी को ढूंढने में सफल हो गये जिसके रास्ते उन्होंने बांस, पेड़ा तथा झाड़ियों से घिरी हुई कुछ झोपड़ियां देख लीं । उन्होंने तेजी के साथ इस एकमात्र पगडंडी से शिविर पर अचानक आक्रमण किया । शिविर से 25 गज की दूरी पर काफी ऊंचाई से दो विरोधियों ने उन पर स्वचालित बन्दूक से गोली चलाई । कैप्टन जसबीर सिंह ने भी तुरन्त जबाबी हमला किया और उस विरोधी को जो पगडंडी पर से गोली चला कर आगे बढ़ती प्लाटून का रास्ता रोके खड़ा था, मारी कोशिशें नाकाम कर दीं । इसके बाद वे नीचे उतरे और दूसरे विरोधी पर आक्रमण करके उसको भागने के लिये मजबूर कर दिया ।

इस कार्रवाई में कैप्टन जसबीर सिंह ने नेतृत्व, साहस, दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

3 4144763 कम्पनी हवलदार मेजर बिजय सिंह,
कुमाऊं रैजिमेंट ।

3 अक्तूबर, 1974 को कम्पनी हवलदार मेजर बिजय सिंह उस टुकड़ी के लीडिंग प्लाटून कमांडर थे, जिसे विरोधियों के एक शिविर पर छापा मारने का काम सौंपा गया था। शिविर तक पहुंचने के लिये काफी दुर्गम क्षेत्र को पार करना था । शिविर के पास पहुंचते ही उन्होंने अपने जीवन की परवाह किये बिना अपने कुल्हे की पोजीशन से हल्की मशीनगन से गोली चलायी और शिविर पर धावा बोल दिया। उस समय विरोधी स्वचालित हथियारों से गोलाबारी कर रहे थे । शिविर पहुंचने पर उन्होंने विरोधियों की स्थिति को नाकाम करने के विचार से अपने दल के नेता की सहायता की । उनके निर्भीक और दृढ़ हमले के कारण विरोधी घबरा कर भागने पर मजबूर हो गये और अपने हथियार, गोलाबारूद, महत्व-पूर्ण कागजात और कपड़े तथा उपस्कर वहीं छोड़ गये ।

इस कार्रवाई में कम्पनी हवलदार मेजर बिजय सिंह ने साहस, दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

स० 24-प्रेस/77—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी वीरता के लिये "शौर्य चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं —

1 श्री सूरजमल, पुत्र श्री बिजा जी रैबाडी,
ग्राम शेरगढ़, पुलिस चौकी मसूदा, जिला अजमेर,
(राजस्थान) ।

2 श्री जीवन, पुत्र श्री बिजा जी रैबाडी,
ग्राम शेरगढ़, पुलिस चौकी मसूदा, जिला अजमेर,
(राजस्थान) ।

3 श्री शैतान, पुत्र श्री सरदार जी रैबाडी,
ग्राम पपड़ी, पुलिस चौकी असीम, जिला भीलवाड़ा,
(राजस्थान) ।
(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 19 दिसम्बर, 1974)

19 दिसम्बर, 1974 की रात को करीब 2 बजे श्री बसना पुत्र मन्दु राम रैबाडी, ग्राम बसना, जिला उदयपुर (राजस्थान) ने पुलिस चौकी मानगढ़, जिला सागर में रिपोर्ट की कि रात को तीन सशस्त्र डाकू आये और उन्होंने उसके तीन चरवाहे साथियों को उनके गांव देवाल के कैंप में पकड़ा और बन्दूक दिखाकर उनसे 5,000 रुपये की मांग की । जब उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की तो डाकू उन्हें नजदीक के देवाल जंगल में ले गये । स्टेशन अफसर और अंचल निरीक्षक मौजूदा जवानों के साथ रैबाडियों (राजस्थान के भेड़ चरवा) के कैंप में गये जहां उन्हें मालूम हुआ कि बदमाशों ने सूरजमल, जीवन और शैतान का अपहरण कर लिया है । पुलिस दल जब देवाल गांव की ओर जा रहा था

तो डाकुओं ने झाड़ियों के पीछे से उस पर गोली चलाई और तीनों व्यक्तियों को घसीटते हुए जंगल में भाग निकले । यद्यपि अपहृत व्यक्तियों को कैद किया गया था फिर भी उन्होंने आपस में डाकुओं पर काबू पाने और उनके हथियार छीनने की योजना बनाई । इस प्रकार ये तीनों व्यक्ति तीनों डाकुओं पर झपटे, उन्होंने उनके हथियारों को छीना, उन्हें जमीन पर पटका और दिसम्बर की कड़ाके की सर्दी में रात के समय केवल शारीरिक बल से उन्हें चट्टानों और झाड़ियों पर पटकना शुरू कर दिया । डाकुओं के सिर और चेहरे पर चोट आई । इस बीच अपहृत व्यक्तियों में अपनी पगड़ियां उतार कर बदमाशों के हाथ बांधे और मदद के लिये अपने अन्य साथियों को आवाज दी । अन्य रैंचाड़ियों के साथ पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और उसने तीनों डाकुओं को उनके हथियार तथा गोलाबारूद सहित अपने कब्जे में ले लिया । इनमें से एक डाकू दो वर्षों से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिये 1,000 रुपये का पुरस्कार रखा गया था ।

इस कार्रवाई में श्री सूरजमल, श्री जीवन और श्री शैतान ने बड़ी सूझबूझ, कुशलता और अदम्य साहस का परिचय दिया ।

4 जे० सी० 140285 नायब सूबेदार राम प्रसाद बादोनी,
(मरणोपरांत)
असम राइफल्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 20 फरवरी, 1975)

20 फरवरी, 1975 को नायब सूबेदार राम प्रसाद बादोनी की कमान में एक गश्ती दल को एक गांव की टोह लेने और निगरानी रखने के लिये भेजा गया । अचानक धर दबाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर वे अपने दल के जवानों के साथ बड़ी सतर्कता से उस गांव की ओर चल पड़े और लगभग रात के साढ़े नौ बजे गांव के निकट पहुंचे । एक घर में कई व्यक्तियों की उपस्थिति का आभास मिलते ही उन्होंने फौरन अपने दल को दो हिस्सों में बांट दिया और उस घर को चारों ओर से घेर लिया जिससे कि कोई वहां से भाग न सके । किसी भी प्रकार के खतरे की परवाह न करते हुए वे खुद मकान के सामने के दरवाजे पर तैनात हो गये । जबकि वे अपने जवानों को व्यवस्थित करने में लगे हुए थे उसी समय अचानक एक विरोधी सामने के दरवाजे से बाहर निकला और अपनी स्टेनगन से भयंकर गोलाबारी करते हुए घेरा तोड़ने की कोशिश करने लगा नायब सूबेदार बादोनी उस विरोधी को रोकने के लिये खुद दरवाजे पर खड़े हो गये और अपनी पिस्तौल से गोली चलाते रहे, हालांकि उनके पेट के निचले भाग में विरोधी द्वारा चलाई गई गोली लगी थी । लेकिन विरोधी वहां से भाग निकलने में सफल हुआ । यद्यपि नायब सूबेदार बादोनी गंभीर रूप से घायल थे फिर भी इन्होंने अपने दल के सदस्यों को भागते हुए विरोधियों का पीछा करने और घेरे को छोटा करके घर की तलाशी लेने को कहा जिसके फलस्वरूप 4 विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया गया । दल ने इनके पास से अनेक घिल अवैध प्रलेख बरामद किये । घावों के कारण बाद में नायब सूबेदार बादोनी की मृत्यु हो गई ।

इस कार्रवाई में नायब सूबेदार राम प्रसाद बादोनी ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि के नेतृत्व का परिचय दिया ।

5 182113 लांस नायक लिआनागिया लुशाई,
असम राइफल्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 20 जून, 1975)

20 जून, 1975 को यह सूचना मिली कि एक स्वघोषित मारजेट मेजर जंगल में अन्य विरोधियों के साथ छिपा हुआ है । तुरन्त एक दल एकत्र कर उन्हें एक अधिकारी की कमान के अन्तर्गत छिपे हुए विरोधियों के अड्डे का पता लगाने और उस पर हमला करने का काम सौंपा गया । लांस नायक लिआनागिया लुशाई उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे । उनका दल जब घने जंगल से गुजर रहा था, उस समय जोरदार बारिश हो रही थी और ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था । फिर भी एक घंटे के कठिन परिश्रम के बाद उनकी टुकड़ी ने विरोधियों के अड्डे का पता लगाया । लेकिन इस बीच वे वहां से भाग गये थे । किन्तु लांस नायक लिआनागिया लुशाई के नेतृत्व में उक्त टुकड़ी ने विरोधियों का पीछा किया थोड़ी देर बाद एक स्थान पर कुछ धीमी आवाज सुनाई दी जिससे वहां किसी व्यक्ति के उपस्थित होने का आभास मिलता था । इस आवाज को सुनते ही लांस नायक लुशाई ने गोली चलाई जो विरोधी के पेट में लगी । लांस नायक लुशाई गोलियों की बौछाड़ से विचलित न होते हुए विरोधी के निकट चले गये और उसको पकड़ लिया ।

इस कार्रवाई में लांस नायक लिआनागिया लुशाई ने अदम्य साहस, दृढ़-निश्चय तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

6 2001059 राइफलमैन अमर बहादुर गुरुंग,
असम राईफल्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 22 जुलाई, 1975)

22 जुलाई, 1975 को राईफलमैन अमर बहादुर गुरुंग असम राईफल्स बटालियन के एक विशेष छापामार टुकड़ी के स्काउट दल के नेता थे । इस दल को विरोधियों के शिविर की खोज करने तथा उस पर छापा मारने का काम सौंपा गया । जब यह उस क्षेत्र की टोह लेते हुए आगे बढ़ रहा था तो इसे विरोधियों के एक भूमिगत अड्डे का पता लगा । इस बीच विरोधियों ने खाई में बनाये गये अपने ठिकाने से अचानक स्काउट दल के नेता पर गोली चलाई । अपनी जान की परवाह किये बिना राईफलमैन अमर बहादुर गुरुंग ने विरोधियों पर गोली चलाई तथा एक विरोधी को मौत के घाट उतार दिया । उनकी इस महासी कार्यवाही के परिणामस्वरूप हथियार, गोलाबारूद और कागजात पकड़ लिये गये ।

इस कार्रवाई में राइफलमैन अमर बहादुर गुरुंग ने अदम्य साहस, दृढ़-निश्चय तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

7 श्री रूप नारायण शर्मा, सहायक कमाडेंट,
असम राइफल्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 27 अगस्त, 1975)

25 अगस्त, 1975 को सुगनेई से लगभग 30 किलोमीटर दूर थागटे के निकट विरोधियों की मौजूदगी की खबर मिली । असम राइफल्स के एक बटालियन के सहायक कमाडेंट, श्री रूप नारायण शर्मा को उस स्थान पर छापा मारने का काम सौंपा गया, जहां विरोधी छिपे हुए थे । वहां पर पहुंचने के रास्ते में घने जंगल और फिसलन भरी ढलानें थीं और बीच के छोटे-छोटे अनेकों नदी-नाले वर्षा के पानी से भरे पड़े थे । विरोधियों को अचानक धर दबाने के विचार से इनका दल अपने साथ-टार्च अथवा रोशनी की व्यवस्था किये बिना ही उस स्थान की खोज में निकल पड़ा और 26 अगस्त, 1975 को पौ फटने से पहले ही वहां पहुंच गया । श्री शर्मा ने तत्काल ही छापा मारने की योजना बनायी और अपने दल को कई टुकड़ियों में बांट दिया तथा शिविर को चारों ओर से घेर लिया । दिन निकलते ही सैनिक विरोधियों के शिविर के नजदीक आ गये । विरोधियों ने अपने को चारों ओर से जाल में फंसा देखकर गोलाबारी शुरू कर दी । श्री शर्मा ने पहले से ही इसका अनुमान लगा रखा था, इसलिये उन्होंने विरोधियों पर हमला कर दिया जिससे उनके बीच भगदड़ मच गयी और वे वहां से भाग निकलने की कोशिश करने लगे । एक राइफल मैन को साथ लेकर श्री शर्मा तीन विरोधियों से भिड़ गये जिनमें से एक मारा गया तथा दूसरे को पकड़ लिया गया । बाद में उन्होंने पकड़े गये विरोधी से पूछताछ की और बड़ी होशियारी से उससे एक अन्य भूमिगत शिविर के बारे में जानकारी प्राप्त की । यद्यपि इनके साथ आने वाले सैनिक पूरी रात के लम्बे सफर और विरोधियों से हुए जबरदस्त मुकाबले से काफी थक गये थे फिर भी श्री शर्मा के शानदार नेतृत्व में वे तत्काल दूसरे शिविर की ओर चल पड़े । यह दल 26-27 अगस्त, 1975 की आधी रात के लगभग छिपे विरोधियों के दूसरे पड़ाव पर पहुंच गया । वहां पहुंचते ही श्री शर्मा ने शिविर पर धावा बोल दिया और वहां से दो हल्की मशीनगन तथा दो हजार से अधिक गोला बारूद बरामद किया । श्री शर्मा के नेतृत्व में हुए इन दोनों हमलों में विरोधियों के एक महत्वपूर्ण गिरोह का सफाया हो गया ।

इन कार्रवाइयों के दौरान श्री रूप नारायण शर्मा ने साहस, दृढ़-संकल्प तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

दिनांक 18 मार्च, 1977

सं० 25-प्रेज/77—राष्ट्रपति, नागालैंड पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री दरोगा सिंह रावत
पुलिस निरीक्षक
कोहिमा
नागालैंड।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

21 जनवरी 1975 को रात्रि के लगभग 9 00 बजे उत्तरी कोहिमा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी निरीक्षक दरोगा सिंह रावत को संदेहास्पद परिस्थितियों में एक व्यक्ति मिला। पूछताछ करने पर उसने टाल-मटोल की जिससे निरीक्षक रावत को संदेह हुआ कि वह कोई अपेक्षित अपराधी हो सकता है। पूछताछ के दौरान अपराधी ने एक छुरा निकाल लिया। किन्तु हथियार की परवाह न करते हुए श्री रावत ने अपराधी के एक मुक्का मारा और थोड़ी हाथापाई के बाद उसे वश में कर लिया हालांकि शरीर से वह उनके मुकाबले में अधिक शक्तिशाली था। जब उसे थाने लाया गया तो पता चला कि वह एक स्वयं कथित मेजर था जिसने 10 मार्च 1974 को मिजोरम के उप-राज्यपाल के कारवां पर घात लगायी थी।

श्री दरोगा सिंह रावत ने इस प्रकार साहस लगन सूझबूझ और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 जनवरी 1975 से दिया जायेगा।

सं० 25-प्रेज/77—राष्ट्रपति उड़ीसा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अनन्त चरण समन्तरे
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक
जिला कटक
उड़ीसा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

23 सितम्बर 1976 को यह सूचना मिलने पर कि एक कुख्यात डाकू जिसकी कई मामलों में तलाश थी जिनमें एक हत्या सहित डकैती का भी था, को एक अन्य डाकू के साथ कथजूरी पुल पर देखा गया है, थाने के कार्य-प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में एक पुलिस दल अपराधियों को पकड़ने के लिये घटनास्थल पर गया। उन्होंने दोनों डाकुओं को घेर लिया और उनमें से एक डाकू को वश में कर लिया। किन्तु मुख्य अपराधी बच कर भाग निकला और उसने अन्धेरे में कथजूरी नदी के तूफानी पानी में छलांग लगा दी। भारी खतरे की परवाह किये बिना श्री अनन्त चरण समन्तरे ने भी नदी में छलांग लगा दी और तैरकर डाकू का पीछा करने लगे। दोनों को पानी में हाथापाई करते देखा गया और फिर वे बहाव की दिशा में बहते हुए अन्धकार में गायब हो गये। डाकू ने पुलिस सहायक उप-निरीक्षक पर घूसों की बौछार कर दी फिर भी उन्होंने डाकू का नहीं छोड़ा और उससे जूझते रहे। इस प्रक्रिया में दोनों पानी के बहाव की दिशा में लगभग एक किलोमीटर तक चले गये। लगभग आध घन्टे की हाथापाई के बाद सहायक उप-निरीक्षक डाकू को नदी के किनारे की ओर धकेल लाने में सफल हो गये। एक मछुआ सहायक उप-निरीक्षक की सहायता के लिए आ गया और हवा भरी मोटर ट्यूब की मदद से वे दोनों मिलकर डाकू को खींच कर किनारे पर निकाल लाये। किन्तु डाकू के पूरी तरह काबू में किये जाने से पहले उसने सहायक उप-निरीक्षक का गला घोंटने का प्रयत्न किया और कई बार प्रहार भी किये जिसके परिणामस्वरूप सहायक उप-निरीक्षक किनारे पर पहुंचने ही बेहोश हो गये। परन्तु डाकू को काबू में कर लिया गया।

श्री अनन्त चरण समन्तरे ने इस प्रकार बड़े साहस दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 सितम्बर 1976 से दिया जाएगा।

सं० 27-प्रेज/77—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री विश्वनाथ लाल
पुलिस उप-निरीक्षक
नगर कार्यालय प्रभारी
थाना डेहरी
बिहार।
श्री जगत किशोर प्रसाद
पुलिस उप-निरीक्षक
डेहरी
बिहार।
श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ल (स्वर्गीय)
कान्स्टेबल
डेहरी
बिहार।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

23 फरवरी 1976 को सायं लगभग 7 15 बजे डेहरी थाने को सूचना मिली कि कुछ अपराधी नगर के एक धनिक व्यापारी की दुकान में घुस गये हैं। श्री विश्वनाथ लाल डेहरी थाने के कार्य प्रभारी अधिकारी ने शीघ्र दो पुलिस दल तैयार किये और तुरन्त घटनास्थल की ओर गये। एक दल गली के पूर्वी सिरे की ओर और दूसरा पश्चिमी सिरे की ओर से गया ताकि अपराधियों के बचकर भाग निकलने के संभावित रास्तों को रोका जा सके। दुकान एक तंग गली में स्थित थी। श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ल दुकान के सामने पहुंच गये और खतरे की परवाह किये बिना बहादुरी से उन्होंने डाकुओं को ललकारा और उनमें से एक पर प्रहार किया। अपराधियों ने जो दुकान के अन्दर थे उन पर गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप उनकी छाती में गोली लगी और वे वहीं गिर कर वीरगति को प्राप्त हुये।

इस बीच उप-निरीक्षक विश्वनाथ लाल और उनके दल ने मकान के एक दरवाजे के पास मोर्चा सम्भाल लिया। इस पुलिस दल को डाकू समझकर एक पड़ौसी ने भी उन पर गोली चला दी। पुलिस दल ने एक अधखुले शटर के पीछे शरण ले ली और दुकान के भीतर अपराधियों पर गोली चला दी। अपराधियों में से एक बन्दूकधारी ने घुटनों के बल मोर्चा सम्भाल रखा था और पुलिस दल पर गोली चला रहा था। उप-निरीक्षक जगत किशोर प्रसाद ने अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया और दरवाजे की दरार में से गोली चलाई जो सीधी अपराधी की छाती में जा लगी। इसके बाद पुलिस दल दुकान में दाखिल हुआ जहां उन्हें चमड़े की कारतूस की पेटी में 9 जीवित कारतूस और एक दुनाली बन्दूक मिली। अन्य अपराधी पिछले दरवाजे से बचकर भाग गये।

इस कार्यवाही में श्री विश्वनाथ लाल श्री जगत किशोर प्रसाद और श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ल ने उत्कृष्ट वीरता पहलशक्ति और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2 ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 फरवरी 1976 से दिया जायेगा।

सं० 28-पेज/77—राष्ट्रपति, नागालैंड पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री शरणजीत सिंह अहलूवालिया
पुलिस उप-निरीक्षक
ओ० सी० थाना मोन
नागालैंड।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

17 नवम्बर 1974 की शाम को जब श्री शरणजीत सिंह अहलूवालिया नागा बाजार कोहिमा से गुजर रहे थे तो तीन विरोधियों ने अचानक उन्हें घेर लिया। वे उनकी तलाशी लेने लगे और उनकी हाथ की घड़ी तथा टार्च छीन ली। उन्होंने अपने को छुड़ा लिया और एक तरफ को गिर गये ताकि अपने रिवाल्वर को बाहर निकाल सकें। विरोधी सशस्त्र थे और उनमें से एक ने उन पर गोली चला दी किन्तु निशाना चूक गया। एक अन्य विरोधी ने उन पर लकड़ी के औजार से आक्रमण किया। श्री अहलूवालिया ने आक्रमण से अपना बचाव किया और विरोधियों पर गोली चलाई जिससे उनमें से एक घायल हो गया। श्री अहलूवालिया के दृढ़ मुकाबले ने विरोधियों को हतोत्साहित कर दिया और वे भाग खड़े हुए। तब श्री अहलूवालिया सहायता के लिये तुरन्त थाने को गये और बाद में विरोधी को जो बच निकला था पकड़ लेने में सफल हो गये।

इस घटना में श्री शरणजीत सिंह अहलूवालिया ने साहस सतर्कता दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 नवम्बर 1974 से दिया जायेगा।

क० बालचन्द्रन्, राष्ट्रपति के सचिव

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मार्च 1977

संकल्प

सं० 15014/3(एम०)/76-स्थापन (ख)—भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि भारत सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए पात्रता के सम्बन्ध में पहले के अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए, भर्ती के मानक नियम को अब से निम्न प्रकार संशोधित किया जाएगा :—

"किसी भी केन्द्रीय सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को :—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से एक जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) मूल रूप से ऐसा भारतीय व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका के केनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मालावी, जैरा, इथोपिया देशों से आया हो, होना चाहिए।

परन्तु (ख), (ग), (घ), तथा (ङ) वर्गों के किसी उम्मीदवार को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके लिए भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह शर्त है कि उपर्युक्त (ख), (ग) तथा (घ) वर्गों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है संघ लोक सेवा आयोग अथवा अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेज दी जाए और संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

के० डी० मदान, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 मार्च 1977

नियम

सं० 11/2/77-के० से०-II—सितम्बर, 1977 में अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए नियम सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

2 चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित क्रम से किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र), में आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किए गए के अनुसार, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970।

3 अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जायेगा।

किस तारीख को और किन किन स्थानों पर परीक्षा ली जायेगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा।

4 केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो 1 जनवरी, 1977 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, इस परीक्षा में बैठ सकेगा —

(1) सेवा की अवधि —केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में एक जनवरी, 1977 को उसकी पांच वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा नहीं होनी चाहिए ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा (जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है) के परिणामों के आधार पर हुई हो, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम पांच वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए ।

टिप्पणी 1 —स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अपर केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अपर उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो ।

टिप्पणी 2 —केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक, जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उदघोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेवा में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर, यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा ।

टिप्पणी 3 —ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निःसवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्त हों, उन्हें अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जायेगा तथा यह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में निःसवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार (लियन) न रखते हों ।

(2) आयु (क) 1-1-1977 को उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1932 से पूर्व नहीं हुआ हो ।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक के मामलों में जिसमें 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उदघोषणा के प्रवर्तनकाल में अर्थात 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर अपनी सेवा (प्रशिक्षण की अवधि समेत यदि कोई हो) की अवधि तक छूट दी जायेगी ।

(ग) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और अधिक छूट दी जायेगी —

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार बगला देश (जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले प्रवजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सबंधित हो तथा बगला देश (जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले प्रवजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत सीलोन करार के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सबंधित हो तथा श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 को भारत–श्रीलंका करार के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और ज़ंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथियोपिया से प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सबंधित हो और बर्मा से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रवर्तित हुआ हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(ix) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अपहृत हुए तथा उसके परिणाम स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अपहृत हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त सेवा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से सबंधित हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(xi) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक, और

(xii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों ।

टिप्पणी —जिन उम्मीदवारों को नियम 4 (2) (ग) (iv) व (v), 4 (2) (ग) (vi) और 4 (2) (ग) (vii) व (viii) के अधीन आयु में छूट देते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी उनकी उम्मीदवारी अनन्तिम होगी बशर्ते कि इन रियायतों की अवधि यथास्थिति 28-2-1977 तथा 31-12-1976 तक बढ़ा दी जाए ।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जायेगी ।

(2) टंकण परीक्षा —यदि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण

शाखा/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (परीक्षा स्कंध)/अधीनस्थ सेवा आयोग को मासिक/तिमाही टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाइप की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए।

5 परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6 किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एड-मिशन) न हो।

7 यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये है, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा इस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8 यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो आयोग द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जाएगा जिससे उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जायेगा।

9 निम्नलिखित उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को आयोग द्वारा समय समय पर निर्धारित शुल्क देना होगा —

(i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को निर्धारित शुल्क का एक चौथाई शुल्क देना होगा,

और

(ii) विभिन्न श्रेणियों अथवा वर्गों के ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी जिन को शुल्क में छूट अथवा रियायत अथवा दोनों के लिए सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए।

10 आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गये हों।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सकें, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनके रैंक का ध्यान किए बिना यदि वे योग्य हुए तो आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

टिप्पणी —उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एग्जेमिनेशन) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जायें, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम हैं। इस लिये कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया ही जाय।

11 हर उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाये, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

12 परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से ही चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सवर्ग प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाए कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार से चयन के लिए उपयुक्त है।

किन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय कि क्या आयोग द्वारा चयन के लिए सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

13 जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निसवर्गीय पद या दूसरी सेवा में 'स्थानान्तरण' द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और के० स० लि० से० के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि यह उस अवर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निसवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्त किया जा चुका हो।

के० बी० नायर, अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी —

भाग—1 नीचे परिच्छेद 2 में बताए गए विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग—2 आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवा-वृत्तों (रिकार्ड आफ सर्विस का मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा में ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते है, जिसके बारे में आयोग फैसला करेगा, और इसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे।

2 भाग-1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा :—

विषय		अधिकतम अंक	दिया गया समय
(1) निबंध तथा सार लेखन			
(क) निबंध	50	100	2 घंटे
(ख) सार लेखन	50		
(II) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पद्धति		100	2 घंटे
(III) सामान्य ज्ञान		100	2 घंटे

3 परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होगा।

4 उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्न-पत्रों अर्थात् (I) निबंध तथा सारलेखन, अथवा (II) टिप्पणी लेखन मसौदा लेखन और कार्यालय पद्धति, अथवा (III) सामान्य ज्ञान में से किसी एक प्रश्न पत्र का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है।

टिप्पणी 1 —यह विकल्प पूरे प्रश्न-पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न पत्र में अलग अलग प्रश्नों के लिए।

टिप्पणी 2 —जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते हैं उन्हें यह बात आवेदन पत्र के कालम 6 में स्पष्ट रूप से लिख देनी चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे।

टिप्पणी 3 —एक बार रखा गया विकल्प अंतिम माना जायेगा और आवेदन पत्र के कालम 6 में परिवर्तन करने से संबंधित कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी 4 —प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिए जायेंगे।

टिप्पणी 5 —उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई (प्राप्त की गई) भाषा को छोड़ कर अन्य किसी भाषा में लिखे उत्तर को कोई महत्व नहीं दिया जायेगा।

5 उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6 आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालिफाइंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है।

7 केवल कोरे सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिये जायेंगे।

8 खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट दिए जायेंगे।

9 परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भावाभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रम बद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक विवरण

(1) निबंध तथा सार लेखन

(क) निबंध विहित कई विषयों में से एक पर निबंध लिखना होगा।

(ख) सार लेखन सूक्ष्म सार लिखने के लिए सामान्यतः अनुच्छेद दिये जायेंगे।

(2) टिप्पणी व आलेख तथा कार्यालय पद्धति —इस प्रश्न पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है। उम्मीदवारों को चाहिए कि इसके लिए कार्यालय पद्धति की नियमपुस्तक (मैन्युअल आफ आफिस प्रोसीजर)—सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियां—रूल्स आफ प्रासीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजिनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश-पुस्तिका पढ़ें।

(3) सामान्य ज्ञान —सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र का उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ प्रत्याशी का भारतीय भूगोल तथा देश के प्रशासन संबंधी ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों की वर्तमान घटनाओं के प्रति बुद्धिमतापूर्ण जागरूकता जिसका किसी शिक्षित मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है, की परीक्षा लेना है। प्रत्याशियों के उत्तरों से उनके किन्हीं पाठ्य पुस्तकों, प्रतिवेदनों इत्यादि के विस्तृत ज्ञान की नहीं अपितु उनके प्रश्नों का बुद्धिमत्तापूर्ण तौर पर समझने की क्षमता प्रदर्शित हो।

नियम

सं० 12/2/77– के० से०-II—अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा 1977 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड-II और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग के लिये प्रवर सूची में सम्मिलित करने के लिये सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं।

2 प्रवर सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जाएगी।

भरी जाने वाली रिक्तियों में, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किये जाएंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उन किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

*संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950

*संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

*संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

*अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 पर्यंत द्वारा संशोधन किए गए के अनुसार।

*संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

*संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिमजाति आदेश, 1959

*संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

*संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962

*संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

*संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

*संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

*संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और

*संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970

3 अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के अनुसार ली जाएगी।

किस तारीख को और किन किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा।

4. पात्रता की शर्तें :—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का श्रेणी 'घ' या श्रेणी III का नियमित रूप से नियुक्त कोई भी ऐसा स्थायी अथवा अस्थायी अधिकारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो परीक्षा में बैठने और अपनी सेवा की रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता करने का पात्र होगा अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक उस सेवा के गेड-ग की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे और भारतीय विदेश सेवा (ख) के गेड III के आशुलिपिक भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड- II की रिक्तियों के लिये पात्र होंगे तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के गेड-ग की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे ।

(क) सेवा की अवधि:—इस सेवा के ग्रेड घ या ग्रेड-III में नियोजक तारीख अर्थात् 1-1-1977 को उसकी कम से कम तीन वर्ष की अनुमोदित और निरन्तर सेवा होनी चाहिए परन्तु शर्त यह है कि यदि वह प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर के० प० आ० म० के ग्रेड (घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के गेड घ/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड-III में नियुक्त कर लिया गया हो, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले घोषित किए गए होने चाहिए और उक्त ग्रेड में उसने कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा की होनी चाहिए ।

टिप्पणी :— ग्रेड-घ के वे अधिकारी जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, और जिनका केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-III में धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे ।

(ख) आयु:—उसकी आयु पहली, जनवरी, 1977 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । अर्थात् वह 2 जनवरी, 1932 से पहले पैदा नहीं हुआ हो ।

(ग) उपरिलिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का हो और बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और पहली जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजन हुआ हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जैयरे और इथियोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(ix) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(xi) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गए सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक, और

(xii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्रवाईयों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों ।

नियम 4(ग) (iv तथा v), 4(ग) (vi) तथा 4(ग) (vii) तथा viii) के द्वारा आयु सीमा में छूट की अनुमति के आधार पर परीक्षा में बठने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी अस्थायी होगी बशर्ते कि यह रियायत 28 फरवरी, 1977 तथा 31 दिसम्बर, 1976 के बाद जैसी भी स्थिति हो दी गई ो ।

उपर्युक्त बातों के अलावा ऊपर निर्धारित आयु-सीमा में और किसी हालत में छूट नही दी जाएगी ।

(घ) आशुलिपिक परीक्षा —जब तक कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उपसंवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/ग्रेड-III मे स्थायीकरण, या बने रहने के प्रयोजन के लिए आयोग की आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिल गई हो उसने परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या उससे पूर्व यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होनी चाहिए ।

टिप्पणी :—ग्रेड-घ या ग्रेड-III के जो आशुलिपिक सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाहय पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिनका इस सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-III मे धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हो, वे परीक्षा मे सम्मिलित किए जाने के पात्र होंगे तथा यह बात ग्रेड-घ/ग्रेड-III के उन आशुलिपिको पर लागू नही होती जो स्थानान्तरित रूप मे संवर्ग बाह्य पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किये गये हो और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/ग्रेड-III में धारणाधिकारी न रखते हों ।

5. परीक्षा में बठने के लिए उम्मीदवार को पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

6. यदि किसी उम्मीदवार के पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न होगा तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा ।

7. उम्मीदवार को आयोग को विज्ञप्ति के पैरा 5 मे निर्धारित शुल्क देना होगा ।

8. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने —

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप मे कार्य साधन कराया, है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए है जिनमे तथ्यो को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा मे प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायो का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन मे अनुचित तरीके अपनाए है, अथवा

(viii) परीक्षा भवन मे अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे —

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अायोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए —

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपयुक्त नियमो के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

9 परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त अंको के आधार पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता क्रम से तीन अलग सूचियां बनाई जाएगी और उसी क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारो को सफलता प्राप्त समझेगा, उनके नाम अपेक्षित संख्या तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिको के उप संवर्ग और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–ग की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश करेगा।

परन्तु यदि अनुसूचित जातियो/अनुसूचित आदिम जातियो के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिको के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा मे आरक्षित रिक्तियो की संख्या तक समान मानक के आधार पर रिक्तियो न भरी जा सकें तो आयोग द्वारा अनुसूचित जातियो अथवा अनुसूचित आदिम जातियो के उम्मीदवारो के आरक्षित कोटे मे कमी को पूरा करने के लिए मानक में ढील देकर सिफारिश की जा सकती है चाहे परीक्षा की योग्यता सूची मे उनका कोई भी रैंक क्यो न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिको के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की चयन सूची में शामिल करने के लिए योग्य हो।

टिप्पणी —उम्मीदवारो को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड–ग/ग्रेड–II और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–ग की प्रवरण सूची में कितने उम्मीदवारो के नाम शामिल किए जाए इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नही कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा मे दिए गए निष्पादन के आधार पर उसका नाम प्रवरण सूची में शामिल किया ही जाए।

10. हर एक उम्मीदवार के परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामो के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नही करेगा।

11. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने मात्र से ही उम्मीदवार को चयन का अधिकार नही मिल जाता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा मे अपने आचरण की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

12 जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन-पत्र देने के बाद या परीक्षा मे बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के अपने पद से त्याग-पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त करदी गई हो या किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा मे स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–घ/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग के ग्रेड–III या सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–घ में धारणाधिकारी न हो, वह इस परीक्षा मे परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नही होगा।

तथापि यह ग्रेड–घ/ग्रेड–III के उन आशुलिपिकों पर लागू नही होगा जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो।

के० बी० नायर, अवर सचिव

परिशिष्ट

लिखित परीक्षा के विषय तथा प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे।

भाग–क लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
(i) सामान्य अंग्रेजी	1¼ घंटे	50
(ii) निबन्ध	1½ घंटे	50
(iii) सामान्य ज्ञान	3 घंटे	100

भाग-ख-हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिये)। 200 अंक

टिप्पणी.—उम्मीदवारो को अपने आशुलिपि नोट टंकण मशीन मे लिपियन्तरित करने होंगे, और इन प्रयोजन के लिये उन्हें अपनी मशीन लानी होगी।

भाग-ग—ऐसे उम्मीदवारो के सेवा अभिलेखो का मूल्यांकन जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णीत किए जाएंगे अधिकतम 100 अंक

2 लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपि की परीक्षाओं की योजना इस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची में दिए गए अनुसार होगी ।

3 उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र (ii) निबन्ध और (iii) सामान्य ज्ञान का उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में देने की छूट है और उपर्युक्त दोनों प्रश्नपत्रों के लिए एक ही माध्यम (अर्थात हिंदी या अंग्रेजी) का चुनाव होगा । जो उम्मीदवार इन दोनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिंदी में लिखने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल हिंदी में ही देनी होगी और जो उम्मीदवार प्रश्नपत्रों को अंग्रेजी में लिखने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल अंग्रेजी में ही देनी होगी । सभी उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र (I) सामान्य अंग्रेजी का उत्तर अंग्रेजी में देना होगा ।

टिप्पणी 1 —जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में (ii) निबन्ध तथा (iii) सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में हिंदी में लिखने के इच्छुक हों वे पृष्ठ विकल्प आवेदन पत्र के कालम 6 में लिखें अन्यथा यह माना जायेगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देगा । एक बार का विकल्प अंतिम समझा जायेगा, और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी 2 —ऐसे उम्मीदवारों अपनी नियुक्ति के बाद जो आशुलिपि की परीक्षा हिंदी में देने का विकल्प देंगे अर्थात् आशुलिपिक और जो आशुलिपिक की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प देंगे उन्हें हिंदी आशुलिपि आवश्यक रूप से सीखनी पड़ेगी ।

टिप्पणी 3 —जो उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 3 के अनुसार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में परीक्षा देना चाहते हैं, और (ii) निबन्ध तथा (iii) सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाएं हिंदी में लिखना चाहते हैं, उन्हें अपने निजी व्यय पर आशुलिपि की परीक्षायें देने के लिए विदेश में किसी ऐसे भारतीय मिशनों में जहां ऐसी परीक्षाएं लेने के आवश्यक प्रबन्ध हों, जाना पड़ सकता है ।

टिप्पणी 4 —उम्मीदवार ने जिस भाषा का विकल्प दिया है उस के अलावा अन्य किसी भाषा में उत्तर लिखने अथवा आशुलिपिक की परीक्षा देने पर कोई मान्यता नहीं दी जाएगी ।

4 जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे वे 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से क्रम में ऊपर होंगे । प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के अनुसार पारस्परिक प्रवरता अनुक्रम रखा जाएगा [निम्नलिखित अनुसूची का भाग (ख) को देखें] ।

5 उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6 आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाईंग) अंक निर्धारित करेगा ।

7 केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे ।

8 केवल सामान्य ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे ।

9 अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों को अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक काट लिये जायेंगे ।

10 परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेषतया ध्यान दिया जाएगा कि भाषा अभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हो ।

अनुसूची

(भाग-क)

लिखित-परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

टिप्पणी. —भाग 'क' के प्रश्नपत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की 'मैट्रीकुलेशन" परीक्षा का होता है ।

सामान्य अंग्रेजी —यह प्रश्न पत्र इस रूप से तैयार किया जाएगा, जिससे कि उम्मीदवारों के अंग्रेजी व्याकरण और निबंध रचना ज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और अशुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए अंक देते समय वाक्य विन्यास/सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा कौशल को ध्यान में रखा जाएगा । इस प्रश्न पत्र में निबंध लेखन सार लेखन मसौदा लेखन शब्दों का शुद्ध प्रयोग आमान मुहावरों और उपसर्ग (प्रिपोजिशन) डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपीच आदि शामिल किए जा सकते है ।

निबन्ध —कई निर्धारित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा ।

सामान्य ज्ञान —निम्नलिखित विषयों का कुछ ज्ञान—

भारत का संविधान पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति-भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल सामान्य घटनाएं सामान्य विज्ञान तथा दिन प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए । उम्मीदवारों के उत्तर से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है । उनके उत्तरों में किसी पाठ्य पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है ।

भाग-ख

आशुलिपिक परीक्षाओं की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिये और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमश 45 तथा 50 मिनटों में लिपयंतर करनी होगी ।

हिंदी में आशुलिपिक की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होगी एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनटों के लिये और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमश 60 तथा 65 मिनटों में लिपयंतर करने होंगे ।

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मार्च 1977

स० यू०-13019/13/76-ए० एन० एल० (I)—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की तारीख 4 अक्तूबर, 1972 की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 26/12/72-ए० एन० एल० का आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति निदेश देते हैं कि उक्त अधिसूचना के पैरा 3 के दो परन्तुकों के पश्चात् निम्नलिखित तीसरा परन्तुक जोड़ा जाएगा —

"यह भी शर्त है कि ऐसे सदस्य जिन्हें 31 मार्च, 1977 तक के लिए चुना गया था या नामित किया गया था, उनकी सदस्यता की अवधि 30 जून, 1977 तक होगी ।"

स० यू०-13019/13/76-ए० एन० एल० (II)—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की तारीख 4 अक्तूबर, 1976 की अधिसूचना का आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति निदेश देते हैं कि उक्त अधिसूचना में लिखे अंकों तथा शब्दों "31 मार्च, 1977" को "30 जून, 1977" पढ़ा जाएगा ।

स० यू०-13019/13/76-ए० एन० एल० (III)—भारत सरकार, गृह मन्त्रालय की तारीख 4 अक्तूबर, 1976 की अधिसूचना संख्या यू०-13019/13/76-ए० एन० एल०, जिसमें श्रीमती जयदेवी को संघ शासित क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, का आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति निदेश देते हैं कि उक्त अधिसूचना में लिखे अंकों तथा शब्दों "31 मार्च, 1977" को "30 जून, 1977" पढ़ा जाएगा ।

स० 13019/5/77-जी० पी०—इस मन्त्रालय की तारीख 12 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 13019/6/76-जी० पी० में आंशिक आंशोधन करते हुए, राष्ट्रपति दादरा और नगर हवेली से सम्बन्धित गृह मंत्री की सलाहकार समिति के मौजूदा गैर-सरकारी सदस्यों की अवधि 30 जून, 1977 तक बढ़ाते हैं ।

दिनांक 2 मार्च 1977

स०यू०-13019/20/76-ए०एन० एल०—भारत सरकार, गृह मन्त्रालय की तारीख 9-7-1976 की अधिसूचना संख्या 13029/8/76-(III) के आंशिक आंशोधन में राष्ट्रपति यह निदेश देते हैं कि उक्त अधिसूचना में दिए गए "31-3-77" अंकों को "30 जून, 1977" पढ़ा जाए ।

आर० एस० प्रदीप, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मार्च 1977

स० 13019/6/77-जी० पी०—राष्ट्रपति, तारीख 23-8-1976 की इस अधिसूचना संख्या 13019/3/76-जी० पी० का आंशिक संशोधन करते हुए, संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ़ के लिए गृह मन्त्रालय की सलाहकार समिति के निम्नलिखित सदस्यों की कालावधि 30-6-1977 तक बढ़ाते हैं :—

पदेन सदस्य

(1) मुख्य आयुक्त, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ ।

2) संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्य ।

(3) कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ।

गैर-सरकारी सदस्य

(1) श्री भोपाल सिंह, अध्यक्ष, क्षेत्रीय कांग्रेस समिति, चंडीगढ़ ।

(2) श्री पी० एल० वर्मा, सेवा-निवृत्त मुख्य अभियन्ता, कैपीटल प्रोजेक्ट, चंडीगढ़ ।

(3) सरदार दिलजग सिंह जोहर, सेवा-निवृत्त, उप सचिव (पंजाब विधान सभा), चंडीगढ़ ।

(4) श्रीमती कान्ता संरूप कृष्णा ।

(5) श्री दौलत राम शर्मा ।

प्रभात कुमार, उप सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1977

(अकाल)

स० 15-1/77-एस० आर०—भारतीय लोक अकाल न्यास के प्रशासन के नियमों के नियम 7 के अन्तर्गत बनाए गए उप-नियम 7 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय लोक अकाल न्यास की 1 जुलाई, 1975 से 30 जून 1976 तक की अवधि की प्राप्तियों, भुगतान तथा परिसम्पत्तियों का लेखा-परीक्षित लेखा प्रकाशित करती है ।

अनुसूची—1

30 जून, 1976 को अवधि की समाप्ति पर भारतीय लोक अकाल न्यास के लेखा के ब्यौरों का विवरण

1 कोषाध्यक्ष, धर्मस्व धनराशि, पश्चिम बंगाल के अधिकार में सरकारी जमानत में धनराशि ।	32,78,400 रु०	जमानतों के वास्तविक संस्थापन का प्रमाणपत्र हमारे 31 अगस्त, 1976 के पत्र सं० आई० पी० एफ० टी०/4 (70)/इनवेस्टमेन्ट/138 द्वारा मांगा गया है ।
2 30-6-76 को स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली के चालू खाते और बचत बैंक खाते में नकद राशि ।	2,10,975 28 रु०	
	34,89,375 28 रु०	

अनुसूची—2

भारतीय लोक अकाल न्यास

1 जुलाई 1975 से 30 जून, 1976 तक की अवधि के दौरान प्राप्ति तथा भुगतान के लेखे का सार

	रुपए	रुपए		रुपए
1 अथ शेष		1,23,839 06	1 अरुणाचल प्रदेश प्रशासन स्टाम-गर को अनुदान की अदायगी ।	20,000 00
(1) स्थायी जमा . .	95,000 00			
(2) चालू खाता . .	25,000 00			
(3) बचत बैंक खाता . .	3,839 06			
योग . .	1,23,839 06			
2. 32,78,400 रु० की धर्मस्व राशि पर ब्याज 98,352.00 कोषाध्यक्ष, धर्मस्व धन राशि, पश्चिम बंगाल द्वारा वसूल की जाने वाली फीस निकालकर	97,368 48		2 एस० ए० एस० लेखाकारों को मानदेय ।	300 00
	983.52			
3 खर्च न की गई वापिस की जाने वाली शेष धनराशि ।	7,608 90		3 कमीशन शुल्क के लिए अल्पावधि प्राप्ति ।	1 00
4. स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में अल्पावधि जमा पर ब्याज ।	2,459 84		4 शेष इति (बैंक में जमा नकद राशि) ।	2,10,975 28
	2,31,276 28			2,31,276 28

जांच करने पर सही पाया गया ।

ह०

महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व
नई दिल्ली ।

ह०

अवैतनिक सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1977

संकल्प

स० पी० एल०-4(6)/76—भूतपूर्व परिवहन और संचार मंत्रालय, परिवहन विभाग (सड़क पक्ष) के संकल्प सं० पी० एल०-4(9)/59-भाग 2 दिनांक 8-8-1961 के अनुसरण में और दिनांक 23 मार्च, 1973 के इस मंत्रालय के संकल्प स० पी० एल०-4(28)/72 के पैरा 3 के संदर्भ में दिनांक 8-8-1961 के उपरोक्त संकल्प की शर्तों के अनुसार गठित केन्द्रीय मूल्यांकन समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठित किया गया है —

स्थायी सदस्य

(1) महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष)।

(2) अध्यक्ष, इंडियन रोड्स कांग्रेस ।

(3) निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान।

नामित सदस्य

(4)

और

(5) राज्यों के दो मुख्य इंजीनियर —

(क) मुख्य इंजीनियर, तमिलनाडु,
(श्री ई० सी० चन्द्रशेखरन, मुख्य इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग, चेपक, मद्रास),

(ख) मुख्य इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश,
(श्री एच० सी० भल्होत्रा, मुख्य इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला)।

(6)

और

(7) राज्य सड़क अनुसंधान प्रयोगशालाओं के दो निदेशक —

(क) निदेशक, सड़क अनुसंधान केन्द्र, पश्चिम बंगाल,
(श्री सी० एन० बोस, निदेशक, सड़क और भवन अनुसंधान संस्थान,
पैलान, 24 परगना (पश्चिम बंगाल)।

(ख) निदेशक, सड़क अनुसंधान केन्द्र महाराष्ट्र,
(श्री पी० के० नागरकर, निदेशक, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नासिक।)

(8) गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि —
श्री के० के० नम्बियार, सलाहकार इंजीनियर,
रामनल्य, 11 फर्स्ट क्रीसेन्ट, पार्क रोड,
गांधी नगर, अय्यर मद्रास-20।

1 महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव समिति के संयोजक बने रहेंगे और संस्थान के निदेशक द्वारा नामित केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के रिजिड पेवमैन्ट डिवीजन के विभागाध्यक्ष डा० आर० के० घोष समिति के सचिव का कार्य करेंगे ।

2 इसके अलावा, 8 अगस्त, 1961 के उक्त संकल्प के पैरा 3 में जैसा कहा गया है जब किसी एक राज्य की सड़क परियोजनाओं की जांच करते समय और परम्परागत तकनीकों के स्थान पर उपयुक्त नई तकनीकों की सिफारिश करते समय, समिति मुख्य इंजीनियर और राज्य के अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि, यदि वे समिति में पहले न हों तो को सहयोजित करेगी । समिति विचाराधीन विशेष के विशेष ज्ञान रखने वाले तीन विशेषज्ञों को भी सहयोजित कर सकेगी ।

3 समिति के विचारार्थ विषय वही होंगे जो उक्त पैरा 1 में उल्लिखित 8 अगस्त, 1961 के संकल्प के पैरा 4 में वर्णित है । इसके अलावा, संकल्प के परा 5 में यथा वर्णित महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव के अलावा इंडियन रोड्स कांग्रेस के अध्यक्ष और केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की छोड़ समिति के सदस्य तीन वर्ष तक पद पर बने रहेंगे और पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प सभी राज्यों/प्रशासनों, योजना आयोग, नौवहन और परिवहन मंत्रालय के विभिन्न प्रभाग, महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् निदेशक केन्द्रीय सड़क अनुसंधान, संस्थान, अध्यक्ष इंडियन रोड्स कांग्रेस श्री के० के० नम्बियार सलाहकार इंजीनियर, रामनल्य, 11 फर्स्ट क्रीसेन्ट, पार्क रोड, गांधीनगर, अय्यर, मद्रास-20 और सचिव, इंडियन रोड्स कांग्रेस को भेज दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जे० एम० साडिया

महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 1977

संकल्प

स० ई०आर० बी० 1/76/21/69—इस मंत्रालय के दिनांक 28-6-1976 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में भारत सरकार ने श्री ए० पी० खोपड़ा, संयुक्त निदेशक, वित्त (व्यय), रेलवे बोर्ड, को, उक्त संकल्प के पैरा 1 के मद (3) पर उल्लिखित श्री पी० एम० बाजी के स्थान पर "खानों रेलवे जमीन के उपयोग के लिए कार्य" का सदस्य बनाने का विनिश्चय किया है ।

बी० मोहन्ती, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पदेन संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक मार्च 1977

नियम

स० ई० 770 जी०/1/आर० बी०-3—सितम्बर, 1977 में अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिये एक समिति विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए नियम सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं ।

2 चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये रिक्त स्थानों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है —

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950 , संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र), आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित-आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किये गए अनुसार) संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली), अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा , दमन तथा द्वीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोवा, दमन तथा द्वीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968, और संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 ।

3 अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जायेगा ।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जायेगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा ।

4 रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, इस परीक्षा में बैठ सकेगा :—

(1) सेवा की अवधि :—रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में एक जनवरी, 1977 को उसकी पांच वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी 1 :—स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो ।

टिप्पणी 2 :—रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक, जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपात्काल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि, मिलाकर, यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा ।

टिप्पणी 3 :—ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निःसंवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्त हों, उन्हें अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जायेगा तथा यह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप से निःसंवर्गी पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों, और रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार (लियन) न रखते हों ।

(2) आयु (क) :—1-1-1977 को उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1932 से पूर्व नहीं हुआ हो ।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में रेलवे बोर्ड सचिवालय/लिपिक सेवा के स्थायी नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक के मामलों में जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपात्काल की उद्घोषणा प्रवर्तनकाल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा (प्रशिक्षण की अवधि समेत यदि कोई हो) की अवधि तक छूट दी जाएगी ।

(ग) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और अधिक छूट दी जायेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार बंगला देश (जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बंगला देश (जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत सीलोन करार के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 को भारत-श्रीलंका करार के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित भारतीय मूल का हो और केन्या, उगान्डा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मालावी, जायरे और इथियोपिया से प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो तथा 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो और बर्मा से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(ix) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त सेवा कार्मिकों के लिये, जो अनुसूचित जातियां अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित हों तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(xi) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक, और

(xii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा दल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों ।

नोट :— नियम 4(2) (ग) (iv) और (v), 4 (2) (ग) (vi) और 4(2)(ग) (vii) और (viii) के अन्तर्गत आयु संबंधी रियायत के अधीन परीक्षा में बैठने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी अनन्तिम होगी बशर्ते कि ये रियायतें 28-2-77 और 31-12-76 जैसी भी स्थिति, हो, तक बढ़ायी गयी रियायतों के अन्तर्गत हों ।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जाएगी।

(3) टंकण परीक्षा :—यदि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण शाला/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कंध) /अधीनस्थ सेवा आयोग की मासिक/तिमाही टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए।

5 परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा मे तब तक नही बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो ।

7 यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने —

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यो को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायो का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन मे अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों मे उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा इस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमो के अधीन अनुशासनिक कायवाही की जा सकती है।

8 यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो आयोग द्वार। उसका आचरण ऐसा समझा जाएगा जिसमे उसे परीक्षा मे बैठने के लिये अयोग्य करार दिया जायेगा ।

9 विज्ञप्ति के पैरा 5(iii) के अधीन फीस से छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारो को छोड़कर शेष सभी उम्मीदवारो को आयोग द्वारा विज्ञप्ति के पैरा 5(i) मे निर्धारित शुल्क देना होगा।

10 आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अको के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामो की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारो के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गये हो ।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानो तक नही भरे जा सकें, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिये स्तर मे छूट देकर परीक्षा मे योग्यता क्रम में उनके रैंक का ध्यान किए बिना यदि वे योग्य हुए तो आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

टिप्पणी .—उम्मीदवारो को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एक्जामिनेशन) । इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची मे कितने उम्मीदवारो के नाम शामिल किये जायें, इसका निर्णय करने के लिये सरकार पूरी तरह सक्षम है । इस लिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नही कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा मे दिए गए उत्तरो के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची मे शामिल किया ही जाए।

11 हर उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाये, इस का निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा, और आयोग परिणामो के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नही करेगा।

12. परीक्षा मे उत्तीर्ण हो जाने से ही चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार से चयन के लिय उपयुक्त है ।

13. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सबन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निम्नवर्गीय पद या दूसरी सेवा में 'स्थानान्तरण' द्वारा नियुक्त किया जा चुका है और निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखते हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

तथापि यह उस प्रवर श्रेणी लिपिक पर लागू नही होगा जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रति-निहुक्त किया जा चुका हो ।

जी० एस० तिरुमलै
प्रवर सचिव,
रेलवे बोर्ड

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

भाग 1. नीचे परिच्छेद 2 मे बताए गए विषयों की कुल 300 अको की लिखित परीक्षा।

भाग 2 आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारो के सेवावृत्तों (रिकार्ड आफ सर्विस) का मूल्याकन जो लिखित परीक्षा मे ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते है, जिसके बारे मे आयोग फैसला करेगा और इसके लिये अधिकतम अक 100 होंगे।

2. भाग 1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिये अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा —

विषय	अधिकतम अंक	दिया गया समय
(i) निबंध तथा सार लेखन : (क) निबंध 50 (ख) सार लेखन 50	100	2 घन्टे
(ii) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पद्धति	100	2 घन्टे
(iii) सामान्य ज्ञान	100	2 घन्टे

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होगा।

4. उम्मीदवारो को प्रश्न पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) मे लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्न-पत्रो अर्थात् (i) निबन्ध तथा सार लेखन, अथवा (ii) टिप्पणी लेखन, मसौदा लेखन और कार्यालय पद्धति, अथवा (iii) सामान्य ज्ञान में से किसी एक प्रश्न पत्र का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है।

टिप्पणी 1.— यह विकल्प पूरे प्रश्न-पत्र के लिये होगा न कि एक ही प्रश्न-पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिये।

टिप्पणी 2:— जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते है उन्हें यह बात आवेदन पत्र के कालम 5 में स्पष्ट रूप में लिख देनी चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे।

टिप्पणी 3:— एक बार रखा गया विकल्प अंतिम माना जायेगा और आवेदन पत्र के कालम 5 मे परिवर्तन करने से संबंधित कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नही किया जायेगा।

टिप्पणी 4 — प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनो में दिए जायेंगे।

टिप्पणी 5:— उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई (आप्ट की गई) भाषा को छोडकर अन्य किसी भाषा में लिखे उत्तर को कोई महत्व नही दिया जायेगा।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होगे। किसी भी हालत में उन्हें लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयो के अर्हक अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है।

7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिये अंक नहीं दिये जायेंगे।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयो के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट दिए जायेंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयो मे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दो में, क्रम बद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण

(1) निबंध तथा सार लेखन :

(क) निबंध :—विहित कई विषयो में से एक पर निबंध लिखना होगा।

(ख) सार लेखन —सूक्ष्म सार लिखने के लिये सामान्यत अनुच्छेद दिये जायेंगे।

(2) टिप्पणी व आलेख तथा कार्यालय पद्धति —इस प्रश्न पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारो की ज्ञान और सामान्यत टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने मे उम्मीदवारो की योग्यता जांचना है। उम्मीदवारो को चाहिये कि इसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गयी कार्यालय पद्धति की नियमपुस्तक (मैनुअल आफ आफिस प्रोसीजर)—रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजिनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा तथा संघ के शासकीय प्रयोजनो के लिये हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश-पुस्तिका तथा राजभाषा के संबंध में भारतीय रेलो द्वारा दिये गये आदेशो की पुस्तिका पढ़ें।

(3) सामान्य ज्ञान:—सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र का उद्देश्य अन्य बातो के साथ-साथ प्रत्याशी का भारतीय भूगोल तथा देश के प्रशासन संबंधी ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनो की वर्तमान घटनाओ के प्रति बुद्धिमत्तापूर्ण जागरूकता जिसकी किसी शिक्षित मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है, की परीक्षा लेना है। प्रत्याशियो के उत्तरो से किन्ही पाठ्य-पुस्तको प्रतिवेदनों इत्यादि के विस्तृत ज्ञान की नही, अपितु उनके प्रश्नों को बुद्धिमत्तापूर्ण तौर पर समझने की क्षमता प्रदर्शित हो।

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 1977

सं० क्यू०-16011/2/76—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमो और विनियमो के नियम 3(छ) (iii) के अनुसरण में भारत सरकार श्री, ब्रिजेन्द्र सिंह, श्रमायुक्त, राजस्थान सरकार और श्री आई० डी० शर्मा श्रमायुक्त, जम्मू व कश्मीर सरकार को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड मे क्रमश राजस्थान तथा जम्मू व कश्मीर सरकारो के प्रतिनिधि के रूप मे नियुक्त करती है।

2 तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या ई०-एण्ड पी० 4 (29)/58, दिनांक 12 दिसम्बर, 1958/29 अग्रहायण, 1880, में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएगे।

वर्तमान प्रविष्टियो अर्थात् :—

"6. श्री सोवन कानूनगो, आई० ए० एस०,
सचिव, उडीसा सरकार,
श्रम, रोजगार और आवास विभाग,
भुवनेश्वर।"

"7. श्री सी० डी० खन्ना, आई० ए० एस०,
श्रमायुक्त, पंजाब सरकार,
चंडीगढ़।"

के लिए निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जाएगी, अर्थात् —

"6. श्री ब्रिजेन्द्र सिंह,
श्रमायुक्त, राजस्थान सरकार,
जयपुर।"

"7. श्री आई० डी० शर्मा,
श्रमायुक्त,
जम्मू व कश्मीर सरकार,
जम्मू।"

हसराज खन्ना, उप-सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 6th August 1976

No. 23-Pres/77.—The President is pleased to approve the award of "SENA MEDAL"/"ARMY MEDAL" to the undermentioned personnel for acts of exceptional devotion to duty or courage :—

1. CAPTAIN SURINDER SINGH (SS 22894) MAHAR REGIMENT

On the 12th October, 1974, Captain Surinder Singh was given the task of locating and raiding a hostile camp in a most difficulty terrain. He successfully led his column through this difficult area. At about 06 00 hours, he observed the presence of a few hostiles in Kheti huts at some distance. The party descended from the crest line stalking along a narrow and a very steep spur, the narrow spur, along which the party was moving, was covered with tall grass and they overshot the camp location. Realising this, Captain Surinder Singh divided his party into two groups and started a backward search of the area The raid party was placed at a disadvantage as they approach the camp site from lower ground to upper ground While climbing the party observed two kheti huts Firing from hip position the party made an assault on the hostiles' position The hostiles also engaged the raid party and lobed grenades at them. During this encounter the sten magazine of Captain Surinder Singh was damaged by hostile fire. Although wounded with a grenade splinter, Captain Surinder Singh jumped at one of the hostiles and after a scuffle snatched his rifle The hostile however jumped down the nala and escaped but this encounter led to the capture of large quantities of arms and ammunition and important documents.

In this action, Captain Surinder Singh displayed courage, determination and devotion to duty of a high order

2. CAPTAIN JASBIR SINGH (SS 23087) KUMAON REGIMENT

On the 3rd October, 1974, Captain Jasbir Singh was detailed to lead a party to raid a camp of hostiles. The move entailed movement through thick under growth, tall elephant grass and a hazardous terrain and a vertical descent down a cliff into a Nala Leading as a scout, Captain Jasbir Singh picked up a faint trail in the Nala and detected a few bashas, the remainder area being covered by bamboos, trees and undergrowth Moving swiftly, he decided to make a surprise assault at the camp through this single trail Two hostiles positioned 25 yards away at dominating heights above the camp, opened automatic fire on him He immediately charged and neutralised the first hostile, who was holding up the move of the leading platoon. He then descended and charged at the second hostile and forced him to flee

In this action, Captain Jasbir Singh displayed leadership, courage, determination and devotion to duty of a high order.

3. 4144763 COMPANY HAVILDAR MAJOR BIJAI SINGH KUMAON REGIMENT

On 3rd October, 1974 Company Havildar Major Bijai Singh was the leading platoon Commander of a column detailed to raid a hostile camp The approach to the camp entailed negotiating a hazardous terrain On nearing the camp, he, in complete disregard of his personal safety and firing the Light Machine Gun from hip position, let the charge on the camp, under automatic fire from the hostile positions On reaching the camp, he assisted the leader of his party in neutralising hostile positions By his undauted and determined action, he forced the hostiles to flee in confusion, leaving behind arms, ammunition, valuable documents, personal clothing and equipment

In this action, Company Havildar Major Bijai Singh displayed courage, determination and devotion to duty of a high order.

No. 24-Pres/77.—The President is pleased to approve the award of "Shaurya Chakra" for acts of gallantry to :—

1. Shri SURAJMAL, s/o Shri Binja Ji Raiwari, R/o Shorgarh, P.S. Masooda, District Ajmer, (Rajasthan)

2. Shri JIWAN, s/o Shri Binja Ji Raiwari, R/o Shorgarh, P S Masooda, District Ajmer, (Rajasthan)

3. Shri SHAITAN, s/o Shri Sardar Ji Raiwari, R/o Papri, P.S. Aseen, District Bhilwada, (Rajasthan).

(*Effective date of the award . 19th December,* 1974)

On the night of the 19th December, 1974 at about 2 O'clock, Shri Basna, S/o Shri Manduram Raiwari, resident of Basana, District Udaipur (Rajasthan) reported at Police Station Bhangarh, District Sagar, that three armed dacoits came in the night, caught hold of three of his associates, who were graziers, from their camp in village Dewal and demanded Rs. 5,000/- at gun point On expressing inability to pay the amount, they were taken by the dacoits into the nearby Dewal forest The Station Officer and the Circle Inspector, along with the available force, went to the camp of the Raiwaris (sheep graziers of Rajasthan) where they came to know that the miscreants had kidnapped Shri Surajmal, Shri Jiwan and Shri Shaitan. While the Police party was proceeding towards Dewal village, the dacoits fired at them from behind the bushes and escaped into the forest dragging with the three kidnapped persons. The kidnapped persons although kept under duress, planned amongst themselves to overpower the dacoits and seize their weapons. Accordingly all the three jumped on the three dacoits, caught hold of their weapons, brought them down on the ground and, by sheer physical force, started dashing them against the stones and bushes in the severe cold night of December. The dacoits sustained injuries on their heads and faces. In the meantime, the kidnapped persons took off their turbans, tied the hands of the miscreants and raised an alarm for help. The police party, along with the other Raiwaris, rushed to the spot and took into custody the three dacoits with their weapons and ammunition One of the dacoits had been absconding for over two years and carried a reward of Rs 1000/- for his arrest

In this action, Shri Surajmal, Shri Jiwan and Shri Shaitan displayed presence of mind, resourcefulness and exemplary courage.

4. JC 140285 NAIB SUBEDAR RAM PRASAD BADONI ASSAM RIFLES (*Posthumous*)

(*Effective date of the award* 20*th February,* 1975)

On the 20th February, 1975, a patrol, under the command of Nb. Sub. Ram Prasad Badoni was detailed to carry out search and surveillance of a village. Being aware of the need to achieve surprise he with his men, moved unobtrusively and reached the vicinity of the village at approximately 21.30 hours Sensing the presence of several persons in a particular house, he immediately split up his party into two groups and surrounded the house to avoid their possible escape. Despite the danger involved, he positioned himself on the front door of the house. While he was in the process of arranging his men, one of the hostiles suddenly rushed out of the front door, firing wildly from his sten gun in a bid to break through the cordon Naib Subedar Badoni tried to prevent the escape of the fleeing hostile by physically blocking his way and firing from his pistol inspite of the fct that he had been hit in lower abdominal region with the burst fired by the hostile The hostile, however, managed to escape. Although seriously wounded, Nb Sub Badoni pressed his men to pursue the fleeing hostile, close in the cordon and carry out the search of the house, which resulted in apprehension of four hostiles. The party also recovered a large number of photographs and incriminating documents Naib Subedar Badoni later succumbed to his injuries

In this action, Nb Sub. Ram Prasad Badoni displayed exemplary courage, determination and leadership of a high order.

5 182113 LANCE NAIK LIANNGIA LUSHAI, ASSAM RIFLES.

(*Effective date of the award* : 20*th June,* 1975)

On 20th June 1975, information was received that a self-styled Sergent Major was present in a jungle hide-out with some other hostiles. A party was quickly assembled, put under the command of an officer and assigned the task of locating and raiding the hide-out Lance Naik Lianngia Lushai was leading this column The party combed the dense jungle in heavy rain and poor visibility and, after over an hour's arduous march, located the hide-out but by that time the hostiles had left However, the column led by Lance Naik Lianngia Lushai set out in their pursuit. After some time, hearing a faint sound indicating human presence, Lance Naik Lushai opened fire

which hit a hostile in the stomach. The other hostiles returned the fire. Undeterred by the flying bullets, Lance Naik Lushai closed in on the hostile who was ultimately captured.

In this action, Lance Naik Lianngia Lushai displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

6. 2001059 RIFLEMAN AMAR BAHADUR GURUNG, ASSAM RIFLES.

(Effective date of the award . 22nd July, 1975)

On 22nd July, 1975, Rifleman Amar Bahadur Gurung was the leading scout of a special raiding column of an Assam Rifles battalion which was assigned the task of locating and raiding a hostile camp. While the column was combing the area, they came across a hostile hide-out. The hostiles suddenly opened fire at the leading scout from their well-entrenched positions. With complete disregard of his personal safety rifleman Amar Bahadur charged at the hostiles and killed one of them. His bold action resulted in the capture of arms, ammunition and documents.

In this action Rifleman Amar Bahadur Gurung displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

7. SHRI ROOP NARAIN SHARMA, ASSISTANT COMMANDANT ASSAM RIFLES.

(Effective date of the award . 27th August, 1975)

On 25th August, 1975, information was received about the presence of hostiles near Thangte, about 30 Kilometres from Lunglei. Shri Roop Narain Sharma, Assistant Commandant of a battalion of the Assam Rifles, was assigned the task of raiding the hide-out. The approach lay through thick forest and on precipitous slopes and the innumerable brooks and nullahs enroute were swollen with rain water. To spring a surprise, the party marched without using torches or light and reach the hide-out well before daybreak on 26th August, 1975. Shri Sharma quickly planned the raid, divided his party into groups and positioned them around the camp. At day-break, the troops closed in on the hide-out. The hostiles, seeing the noose tightening around them, opened fire. Shri Sharma who had anticipated this, charged at the hostiles, who broke into a confusion and tried to escape. Shri Sharma, along with a rifleman, encountered three hostiles one of whom was killed and one was captured. He subsequently interrogated the captured hostile and skilfully extracted from him information regarding the location of another underground camp. Though his men had gone through a gruelling night long march and a bloody encounter, they, under the inspiring leadership of Shri Sharma, immediately proceeded to the next camp. The party reached the second hideout around midnight of 26/27th August, 1975. Shri Sharma quickly led an assault on the camp and recovered two Light Machine Guns and over two thousand rounds of ammunition. These two raids led by Shri Sharma resulted in the liquidation of an important gang of hostiles.

In these actions Shri Roop Narain Sharma displayed courage, determination, leadership and devotion to duty of a high order.

The 18th March 1977

No 25-Pres/77.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Nagaland Police .—

Name and rank of the Officer.

Shri Daroga Singh Rawat,
Inspector of Police,
Kohima,
Nagaland.

Statement of service for which the decoration has been awarded

On the 21st January, 1975 at about 9.00 P.M. Inspector Daroga Singh Rawat, Officer-in-charge, Kohima North Police Station, came across a person in suspicious circumstances. On questioning he gave evasive replies, and, therefore, Inspector Rawat suspected that he might be one of the wanted criminals. During the interrogation the criminal took out a dagger but Shri Rawat undeterred by the weapon, gave a blow to the criminal and after a short scuffle overpowered him although he was physically stronger. When he was brought to the police station, it was discovered that he was a self-styled Major who was responsible for laying an ambush on the convoy of the Lieutenant Governor of Mizoram on 10th March, 1974.

Shri Daroga Singh Rawat thus exhibited courage, zeal, intelligence and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 21st January, 1975.

No 26-Press/77.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Orissa Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Ananta Charan Samantray,
Assistant Sub-Inspector of Police,
Cuttack District,
Orissa.

State of services for which the decoration has been awarded

On the 23rd September, 1976, on receipt of information that a notorious dacoit who was wanted in many cases including a dacoity with murder, was seen on the Kathjuri bridge with another dacoit, a police party headed by the officer-in-charge of the Police Station went to the spot to apprehend the criminals. They surrounded the two dacoits and were able to overpower one of them but the main criminal escaped and in the darkness dived into the swirling waters of Kathajuri river, unmindful of the grave risk Shri Ananta Charan Samantray also dived into the river and swam after the dacoit. Both of them were seen struggling in the water and then were lost in the darkness being swept away downstream. The dacoit rained blows on the Assistant Sub-Inspector who, however, did not give up and continued to grapple with the dacoit. In the process both of them went downstream for nearly a kilometer. After a struggle lasting about half an hour the Assistant Sub-Inspector managed to steer the dacoit towards the bank of the river. A fisherman came to the aid of the Assistant Sub-Inspector, and with the help of an inflated motortube, both of them dragged the dacoit on to the river bank. But before he could be completely overpowered, the dacoit tried to strangulate the Assistant Sub-Inspector and also hit him several times as a result of which the Assistant Sub-Inspector became unconscious on reaching the bank. The dacoit was, however, apprehended.

Shri Ananta Charan Samantray thus exhibited great courage, determination and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd September, 1976.

No. 27-Press/77.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police .—

Names and ranks of the Officers

Shri Bishwanath Lal,
Sub-Inspector of Police,
Officer-in-Charge Town Police Station,
Dehri, Bihar.

Shri Jagat Kishore Prasad,
Sub-Inspector of Police,
Dehri, Bihar.

Shri Surendra Prasad Shukla, *(Deceased)*
Constable,
Dehri, Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On February 23, 1976 at about 19.15 hrs information was received at Dehri Police Station that some criminals had entered the wholesale shop of a businessman of the town. Shri Bishwanath Lal, Officer-in-Charge of Dehri Police Station quickly formed two police parties and rushed to the spot immediately. One party went from the eastern end of the lane and the other from the western end so as to cover the possible escape routes of the criminals. The shop was situated in a narrow lane. Shri Surendra Prasad Shukla reached the front of the shop. Unmindful of the risk, he bravely challenged the dacoits and hit one of them. He was fired upon by the crimi-

nals who were inside the shop as a result of which he was hit in the chest and fell down dead.

In the meantime Sub-Inspector Bishwanath Lal and his party took position near a door of the house. Taking this police party also to be dacoits, a neighbour also fired upon them. The police party took shelter behind a half opened shutter and fired at the criminals inside the shop. The gunner amongst the criminals had taken a kneeling position in the room and was firing at the police party. Sub-Inspector Jagat Kishore Prasad showed exemplary courage and fired through the gap of the cracked door which hit the criminal in the chest. The Police party then entered the shop and found on him a double barrel gun with a leather bandolier strapped across his chest with 9 live cartridges The other criminals escaped through the back door.

In this action Shri Bishwanath Lal, Shri Jagat Kishore Prasad and Shri Surendra Prasad Shukla exhibited conspicuous gallantry, courage, initiative and devotion to duty of a high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd February, 1976.

No. 28-Pres/77.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Nagaland Police :

Name and rank of the Officer

Shri Sharanjit Singh Ahluwalia,
Sub-Inspector of Police,
O.C. Police Station, Mon,
Nagaland.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the evening of November 17, 1974, when Shri Sharanjit Singh Ahluwalia was passing through Naga Bazar, Kohima he was suddenly surrounded by three hostiles They started searching him and relieved him of his wrist watch and torch. He managed to free himself and fell to one side so as to be able to take out his revolver The hostiles were armed and one of them fired him but missed him narrowly. Another hostile attacked him with a wooden instrument Shri Ahluwalia managed to ward off the attack and fired at the hostiles injuring one of them In the face of the determined resistance shown by Shri Ahluwalia the hostiles became unnerved and took to their heels. Shri Ahluwalia then rushed to the police station for help and later later managed to arrest of the injured hostile who had escaped.

In this incident Shri Sharanjit Singh Ahluwalia showed courage presence of mind, determination and devotion to duty of a high order.

2 This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th November, 1974.

K. BALACHANDRAN, Secy
to the President

CABINET SECRETARIAT

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

New Delhi, the 1st March 1977

RESOLUTION

No 15014/3(S)/76-Estt.(B) —The Government of India have decided that in supersession of earlier instructions regarding the eligibility for appointment under the Government of India, the standard rule for recruitment will henceforth be modified as follows :—

A candidate for appointment to any Central Service or post must be—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetant refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Union Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution may be communicated to all State Governments, all Ministries of the Government of India, etc and also that the Resolution be published in the Gazette of India.

K. D. MADAN, Jt. Secy

RULES

New Delhi, the 26th March 1977

No. 11/2/77-CS-II.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service to be held by the Subordinate Services Commission in September, 1977 are published for general information

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Subordinate Services Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, who on the 1st January, 1977 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination.

(1) *Length of Service*—He should have on the 1st January, 1977 rendered an approved and continuous service of not less than 5 years in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service

Provided that if he had been appointed to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service on the results of the Competitive Examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than five years before the crucial date and he should have rendered not less than four years' approved and continuous service in that Grade.

NOTE 1.—The limit of five years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 2.—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962 namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968 would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training if any) in the Armed Forces onwards the prescribed minimum service.

NOTE 3.—Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This, however, does not apply to a Lower Division Clerk, who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division grade of the Central Secretariat Clerical Service.

(2) *Age*—

(a) He should not be more than 45 years of age on 1-1-1977 i.e., he must not have been born earlier than 2nd January, 1932;

(b) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968, and who has reverted therefrom to the extent of the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces

(c) The age prescribed above will be further relaxable —

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from Bangladesh (formerly East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of from Bangladesh (formerly East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964,

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar); Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(viii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof,

(x) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof; and

(xii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe.

NOTE : Candidature of persons admitted to the examination under age relaxation allowed under rule 4(2)(c)(iv) & (v), 4(2)(c)(vi) and 4(2)(c)(vii) & (viii) will be provisional subject to these concessions being extended beyond 28-2-1977 and 31-12-1976 as the case may be.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(3) *Typewriting Test*—Unless exempted from passing the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training & Management (Examinations Wing) Subordinate Services Commission for the purpose of confirmation, in the Lower Division Grade he should have passed this test on or before the date of notification of this examination

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall; or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them,

(ii) by the Central Government, from any employment under them, and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination

9 Candidates except those mentioned below, must pay the fee specified by the Commission from time to time :

(i) Members of S. Cs & S. Ts must pay one fourth of the specified fee; and

(ii) Exemption from payment of specified fee will be allowed to such candidates belonging to various classes or categories of persons noticed from time to time by the Government for exemption or concessions or both in fees.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade up to the required number.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade, irrrespective of their ranks in the order of merit at the examination

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result

12 Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection ·

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken in consultation with the Department of Personnel and Administrative Reforms.

13 A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service, or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department or, who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the C.S C.S. will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan .—

Part I—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below

Part II—Evaluation of record of service of such of the candidates who attain at the written examination, a minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows·—

Subjects	Maximum Marks		Time allowed
(i) Essay and Precis writing			
(a)Essay	50	100	2 hours
(b) Precis-Writing	50		
(ii) Noting and Drafting and Office Procedure	100		2 hours
(iii) General Knowledge	100		2 hours

3 The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule below.

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers viz., (i) Essay and Precis Writing or (ii) Noting and Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

NOTE 1 —The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or in English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form, otherwise, it would be presumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3 —The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in Column 6 of the application form shall ordinarily be entertained.

NOTE 4 —Question papers will be supplied both in Hindi and English.

NOTE 5.—No credit will be given for answers written in a language other than the one opted by the candidate.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

1 Essay and Precis Writing .

(a) ***Essay***.—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(*b*) ***Precis Writing***—Passages will usually be set for summary or precis.

2. *Noting & Drafting and Office Procedure*.—The paper on Noting & Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidate's knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts. Candidates are required to study the Manual of Office Procedure—Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training & Management—the Rules of Proccedure and conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purposes of the Union, for this purpose.

3. *General Knowledge*.—The paper on General Knowledge will be intended *inter-alia* to test the candidate's knowledge of Indian Geography as well as the country's administration, as also intelligent awareness of current affairs both national and international which an educated person may be expected to have. Condidate's answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, reports etc.

RULES

New Delhi, the 26 March 1977

No. 12/2/77 C.S.(II)—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the 'Select List for Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service, Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) and Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service to be held by the subordinate Services Commission in 1977, are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of the vacancies as may be fixed by the government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories) Order, 1951 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Subordinate Services Commission in the manner prescribed in Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. *Conditions of eligibility*.—Any permanent or temporary regularly appointed officer, belonging to Grade D or Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination and compete for vacancies in his service only i.e. Grade D Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service will be eligible for vacancies in Grade C of that Service Grade III Stenographers of the Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be eligible for vacancies in grade II of the Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B) and the Grade D Stenographers of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service will be eligible for vacancies in Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service

(a) *Length of service*.—He should have, on the crucial date, i.e. on 1-1-1977 rendered not less than three years' approved and continuous service in Grade D or grade III of the Service

"Provided that if he had been appointed to Grade D of the C.S.S.S./Grade D of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Grade III of the Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service on the results of the competitive examination, the results of such examination should have been announced not less than three years before the crucial date and he should have rendered not less than two years' approved and continuous service in the grade."

Note.—Grade D officers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority, and those having a lien in Grade D or Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters' Stenographers' Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

(b) *Age*.—He should not be more than 45 years of age on the 1st January, 1977 i.e. he must not have been born earlier than 2nd January, 1932.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable—

(i) up to maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before 25th March 1971);

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before, 25th March, 1971);

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malavi, Zaire and Ethiopia;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Service personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes

(xi) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes

NOTE Candidature of the persons admitted to the examination on the basis of age relaxation allowed *vide* rule 4 (c) (iv & v), 4(c) (vi) and 4(c) (vii & (viii) would be provisional subject to these concessions being extended beyond 28th February, 1977 and 31st December, 1976, as the case may be

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED

(d) *Stenography Test*—Unless exempted from passing the Commissions' Stenography Test for the purpose of confirmation or continuance in Grade D /Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service, he should have passed the Test on or before the date of notification of this examination.

NOTE—Grade D or Grade III Stenographers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority and those having a lien in Grade D Grade II of the Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible

This however does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer" and does not have a lien in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service

5 The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final

6 No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the commission

7 Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Commissions' Notice

8 A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them,

(ii) by the Central Government, from any employment under them, and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules

9 After the examination, the candidates will be arranged by the Commission, in three separate lists, in the order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service, Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) and Armed Forces Headquarters Stenographers' Service up to the required number

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extent the number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service/ Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/ Armed Forces Headquarters Stenographers' Services reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographer Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Force Headquarters Stenographers' Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination

NOTE—Candidates should clearly understand that this is competitive and not a qualifying examination The number of persons to be included in the Select List for Grade C/Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service, Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) and Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide No candidate will, therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of performance in the examination as a matter of right

10 The form and manner of communication on the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result

11 Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority are satisfied, after such cadre authority as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection

12 A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment in the Central Secretariat Stenographers' Service or Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) or Armed Forces Headquarters Stenographers' Service or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on "transfer" and does not have a lien in Grade D of the Central Secretariat Stenographers' Service or Grade III of Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) or Grade D of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service will not be eligible for appointment on the results of this Examination

This, however, does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority

K B NAIR,
Under Secy.

APPENDIX

The subjects of the written examination and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject		Time Allowed	Maximum Marks
(i)	General English	1½ hours	50
(ii)	Essey	1½ hours	50
(iii)	General Knowledge	3 hours	100

Part B. :—SHORTHAND TEST IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST). 200 Marks.

NOTE.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

Part C.—Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The syllabus for the Written Test and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer the papers (ii) Essay, and (iii) General Knowledge, either in Hindi or in English and the medium opted (i.e. Hindi or English) should be the same for both the papers mentioned above. Candidates who opt to answer both these papers in Hindi will be required to take the shorthand tests also in Hindi and those who opt to take them in English will be required to take the shorthand tests also in English. Paper (i) General English must be answered by all the candidates in English.

NOTE 1.—Candidates desirous of exercising the option to answer papers on (ii) Essay and (iii) General Knowledge, of the Written test and take Shorthand Tests in Hindi (Devanagari), should indicate their intention to do so in Col. 6 of the application form otherwise it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand Tests in English.

The option once exercised shall be treated as final, and no request for alteration in the said column shall be ordinarily entertained.

NOTE 2.—Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English stenography, and *vice versa* after their appointment.

NOTE 3.—A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad and exercising the option to answer papers on (ii) Essay and (iii) General Knowledge and take the Stenography Tests in Hindi in terms of para 3 above, may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.

NOTE 4.—No credit will be given for answer written or Shorthand test taken in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the distation at 100 words per minute persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below).

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for shorthand test.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

10. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

PART—A

Standard and syllabus of the written test

NOTE.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

General English.—The paper will be designed to test the candidate's knowledge of English Grammar and Composition, and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement of general expression and workmanlike use of the language. The paper may include question on precis writing, drafting correct use of words essay idioms and prepositions; direct and indirect speech, etc.

Essay.—An essay to be written on one of the several specified subjects.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plans, Indian History and Culture, General and Economic Geography of India, current events, everyday science and such matters of every day observations as may be expected of an educated person. Candidates' answers, are expected to show their intelligent understanding of the question and not detailed knowledge of any text book.

PART—B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The Shorthand Tests in Hindi, will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribed in 60 and 65 minutes respectively.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 1st March 1977

No. U-13019/13/76-ANL(I).—In partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 26/12/72-ANL, dated the 4th October, 1972 as amended from time to time, the President is pleased to direct that after the two provisos to paragraph 3 of the said Notification the following third proviso shall be inserted :—

"Provided further that the term of membership of such members who were elected or nominated up to 31st March, 1977, shall be up to 30th June, 1977."

No. U-13019/13/76-ANL(II).—In partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. U-13019/13/76-ANL, dated 4th October, 1976 the President is pleased to direct that the figures and words "31st March, 1977" occuring in the said Notification shall be read as "30th June, 1977".

No. U-13019/13/76-ANL(III).—In partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. U-13019/13/76-ANL dated 4th October, 1976, nominating Smt. Jai Devi to be member of Advisory Committee for the Union territory of Andaman & Nicobar Islands, the President is pleased to direct that the figures and words "31st March, 1977" occuring in the said Notification shall be read as "30th June, 1977."

No. 13019/5/77-GP.—In partial modification of this Ministry's Notification No. 13019/6/76-GP, dated the 12th August, 1976, the President is pleased to extend the term of the existing non-official members of the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli for the period upto the 30th June, 1977.

R. I PARDEEP, Director.

The 2nd March 1977

No. U-13019/20/76-ANL.—In partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 13029/8/76-(iii), dated the 9th July, 1976, the President is pleased to direct that the figures "31-3-1977" occuring in the said notification shall be read as "30th June 1977".

R. L. PARDEEP, Director (ANL).

New Delhi-110001, the 5th March 1977

No. 13019/6/77-GP.—In partial modification of this Notification No. 13019/3/76-GP, dated 23rd August 1976, the President is pleased to extend the terms of the following member to the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Chandigarh up to 30th June 1977 :—

Ex-Officio Members

(1) Chief Commissioner, Chandigarh Administration, Chandigarh.

(2) M. P. representing the UT of Chandigarh.

(3) Vice Chancellor, Punjab University, Chandigarh.

Non-Official Members

(1) Shri Bhopal Singh, President, Territorial Congress Committee, Chandigarh.

(2) Shri P. L. Verma, Retired Chief Engineer, Capital Project, Chandigarh.

(3) Sardar Diljang Singh Jauhar, Retired Deputy Secretary (Punjab Vidhan Sabha), Chandigarh).

(4) Smt. Kanta Saroop Krishen.

(5) Shri Daulat Ram Sharma.

PRABHAT KUMAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 26th February 1977

(FAMINE)

No. 15-1/77-SR.—In pursuance of the provisions of the Bye-law 7 made under Rule 7 of the Rules for the Administration of the Indian People's Famine Trust, the Central Government are pleased to publish the audited accounts of the receipts, disbursement and assets of the Indian People's Famine Trust for the period 1st July 1975 to 30th June 1976.

B. B. KAPUR, Dy. Secy.

SCHEDULE—I

INDIAN PEOPLE'S FAMINE TRUST STATEMENT SHOWING DETAILS OF ACCOUNTS AT THE CLOSE OF 30-6-1976.

		Remarks
1. Endowment Fund in Govt. Securities vested in Treasurer, Charitable Endowment West Bengal	Rs. 32,78,400·00	The certificate for physical verification of Securities has been called for vide our letter No. IPFT-4(70)/Investment/138 dated 31-8-1976.
2. Cash in current Account and Savings Bank Account with the State Bank of India, New Delhi as on 30-6-76.	Rs.2,10,975·28	
	Rs. 34,89,375·28	

Sd/-
HON. SECRETARY.

Checked and found Correct.
Sd/-
ACCOUNTANT GENERAL
CENTRAL REVENUES
NEW DELHI.

SCHEDULE-II

INDIAN PEOPLES' FAMINE TRUST

Abstract Account of Receipts and Disbursements during the period 1-7-75 *to* 30-6-76.

	Rs.	Rs.		Rs.
1. Opening Balance				
(i) Fixed Deposit	95,000·00	1,23,839·06	1. Payment of Grants to Govt. of Arunachal Pradesh Administration Itanagar.	20,000.00
(ii) Current Account . . .	25,000.00			
(iii) Saving Bank Account . . .	3,839·06			
TOTAL	1,23,839·06			
2. Interest on Endowment Fund of Rs. 32,78,400 . . .	98,352·00	97,368·48	2. Honorarium to SAS Acctts.	300·00
Less fee recoverable by Treasures Charitable Endowments West Bengal . .	983·52			
3. Refund of Unspent Balance . . .		7,608·90	3. Short receipt on account of Commission charges.	1·00
4. Interest on short term Deposit with State Bank of India New Delhi.		2,459·84	4. Closing Balance (Cash at Bank)	2,10,975·28
		2,31,276 28		2,31,276·28

Checked and Found Correct.
Sd/-
A.G.C.R., NEW DELHI.

Sd/-
HON. SECRETARY.

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT
(ROADS WING)

New Delhi, the 22nd February 1977

RESOLUTION

No PL-4(6)/76—In pursuance of para 5 of the late Ministry of Transport & Communications, Department of Transport (Roads Wing) Resolution No. PL-4(9)/59-Pt.II, dated the 8th August 1961 and with reference to para 3 of this Ministry's Resolution No PL-4(28)/72, dated the 23rd March 1973, the Central Assessment Committee set up in terms of the Resolution dated the 8th August 1961 referred to above is reconstituted as under .—

Permanent Members

(i) Director General (Road Development) and Additional Secretary, Ministry of Shipping and Transport (Roads Wing).

(ii) The President, Indian Roads Congress.

(iii) The Director, Central Road Research Institute.

Nominated Members

(iv) & (v) Two Chief Engineers of States :

(1) The Chief Engineer, Tamil Nadu (Shri E C. Chandrasekharan, Chief Engineer, National Highways, Chepauk, Madras)

(2) The Chief Engineer, Himachal Pradesh, (Shri R. C Malhotra, Chief Engineer, P.W D., H P, Simla).

(vi) & (vii) Two Directors of State Road Research Laboratories.

(1) Director, Road Research Station, West Bengal (Shri C N Bose, Director, Roads and Buildings Research Institute, Pailan 24 Parganas (West Bengal).

(2) Director, Road Research Station, Maharashtra (Shri P. K. Nagarkar, Director Maharashtra Engineering Research Institute, Nasik.

(viii) Representative of Non-Governmental Organisation. Shri K K Nambiar, Consulting Engineer, Ramanalye, 11 First Crescent Park Road, Gandhinagar, Adyar, Madras-20

The Director General (Road Development) & Addl. Secretary shall continue to be the conveyor of the Committee and Dr R K Ghosh Head of the Rigid pavement Division of the Central Road Research Institute nominated by the Director of the Institute will act as the Secretary to the Committee

2 In addition, as stated in para 3 of the aforesaid Resolution dated the 8th August 1961, while examining the road projects of a particular State, and while recommending suitable new techniques for replacing conventional ones, the Committee shall co-opt the Chief Engineer and the head of the Research Institute of the state or their representatives, if they are not already on the Committee. The Committee will also have the powers to co-opt upto three experts who have special knowledge of the subject under consideration

3. The terms of reference of the Committee will be the same as mentioned in para 4 of the Resolution dated the 8th August 1961 referred to in para 1 above. Further as stated in para 5 of that Resolution, the members of the Committee, other than the Director General (Road Development) & Addl. Secretary, the President of the Indian Roads Congress and the Director, Central Road Research Institute, will hold office for three years and will be eligible for re-appointment.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to all the State Governments/Admn, the Planning Commission, the Finance Division of the Ministry of Shipping & Transport, the Director General, Council of Scientific and Industrial Research, the Director, Central Road Research Institute, the President, Indian Roads Congress, Shri K K Nambiar, Consulting Engineer Ramanalya, 11 First Crescent Park Road, Gandhinagar, Adyar, Madras-20, and the Secretary, Indian Roads Congress.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India

J. S. MARYA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 5th March 1977

RESOLUTION

No. ERB1/76/2169—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated 28-6-1976, S. No. 4, the Government of India have decided to appoint Shri A. P. Chopra, Joint Director, Finance (X)1, Railway Board, as Member of the Cell for Utilisation of Vacant Railway Land/ in place of Shri P. S Bami, proceeded on deputation to Thermal Corporation of India, appearing in Para 1, Item (3) of the said Resolution.

B. MOHANTY, Secy Railway Board & *ex-officio* Jt. Secy.

RULES

New Delhi, the 19th March 1977

No. E/70G1/1/RB3.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service to be held by the Subordinate Services Commission in September, 1977 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the select list will be specified in the Notice issued by the Commission Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3 The examination will be conducted by the Subordinate Services Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service, who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination .—

(1) Length of Service.—He should have rendered on the 1st January, 1977 an approved and continuous service of not

less than 5 years in the Lower Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service

Note 1.—The limit of five years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Railway Board Secretariat Clerical Service.

Note 2.—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Railway Board Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968 would on reversion from the Armed Forces be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

Note 3.—The Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This, however, does not apply to a Lower Division Clerk, who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service.

(2) Age.—(a) He should not be more than 45 years of age on 1st January, 1977 i.e. he must not have been born earlier than 2nd January, 1932.

(b) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a permanent or regularly appointed temporary office of the Lower Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968, and who has reverted therefrom to the extent to the period of his service (including the period of training if any) in the Armed Forces

(c) The age limit prescribed above will be further relaxable .—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from Bangladesh (formerly East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March, 1971,

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Bangladesh (formerly East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malavi, Zaire and Ethiopia;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963,

(viii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963,

(ix) up to a maximum of three years in the case of Defence Service personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence therof,

(x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Service personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes,

(xi) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

Note . Candidature of persons admitted to the examination under age relaxation allowed under rule 4(2)(c)(iv) & (v), 4(2)(c)(vi) and 4(2)(c)(vii) & (viii) will be provisional subject to these concessions being extended beyond 28-2-1977 and 31-12-1976 as the case may be."

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(3) Typewriting test—Unless exempted from passing the Monthly & Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training and Management (Examination Wing)/ Subordinate Service Commission for the purpose of confirmation, in the Lower Division Grade, he should have passed this test on or before the date of notification of this examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6 No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7 A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission, of all or any of the acts, specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them,

(ii) by the Central Government from any employment under them, and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be conduct which would disqualify him for admission to the examination

9. Candidates must pay the fee prescribed in para 5(i) of the Commission's Notice except those claiming fee concession under para 5(iii) of the Notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade up to the required number.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a general standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Note.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of person to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respect for selection

13. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Railway Board Secretariat Clerical Service, or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority

G. S. THIRUMALAI
Under Secretary
Railway Board

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :

Part I—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II—Evaluation of record of service of such of the candidates who attain at the written examination a minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows

Subjects	Maxi. Marks	Time allowed
(i) Essay and Precis Writing		
(a) Essay	50 } 100	2 hours
(b) Precis-writing	50 }	
(ii) Noting & Drafting and Office Procedure	100	2 hours
(iii) General Knowledge	100	2 hours

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers viz., (i) Essay and Precis Writing or (ii) Noting and Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

Note 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

Note 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devnagari) or English should indicate their intention to do so clearly in column 5 of the application form, otherwise it would be presumed that they would answer the papers in English.

Note 3.—The option once exercise shall be treated as final and no request for alteration in column 5 of the application form shall ordinarily be entertained

Note 4.—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

Note 5.—No credit will be given for answers written in a language other than the one opted by the candidate

5. Candidates must write the papers in their own hand In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge

8. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

1. Essay and Precis Writing.

(a) Essay—An essay to be written on one of the several specified subjects

(b) Precis Writing—Passages will usually be set for summary or precis.

2. Noting & Drafting and Office Procedure.—The paper on Noting & Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidates knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts. Candidates are required to study the Manual of Office Procedure issued by the Railway Board and the Rules of Procedure and Conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for official purposes of the Union, and the Indian Railways compending of Orders regarding use of Official Languages, for this purpose

3. General Knowledge.—The paper on General Knowledge will be intended *inter alia* to test the candidates' knowledge of Indian Geography as well as the country's administration, as also intelligent awareness of current affairs, both national and international which an educated person may be expected to have. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the question and not detailed knowledge of any text books, reports etc.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 8th March 1977

No Q-16011/2/76-WE —In pursuance of Rule 3(g)(iii) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby appoints Shri Brijendra Singh, Labour Commissioner, Government of Rajasthan and Shri I D Sharma, Labour Commissioner, Government of Jammu and Kashmir, as representatives of the Governments of Rajasthan and Jammu and Kashmir respectively, on the Central Board for Workers' Education, for a period of two years from the date of issue of this notification

2. The following changes will be made accordingly in the Ministry of Labour & Employment Notification No E&P-4 (24)/58, dated the 12th December, 1958/Agrahayana 29, 1880 as amended from time to time

For the existing entries viz .—

"6 Shri Sovan Kanungo, IAS,
Secretary to the Government of Orissa,
Labour, Employment and Housing Department,
Bhubaneshwar."

"7. Shri C. D Khanna IAS,
Labour Commissioner,
Government of Punjab,
Chandigarh"

the following entries shall be *substituted* viz .—

"6 Shri Brijendra Singh,
Labour Commissioner,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

"7 Shri I D Sharma,
Labour Commissioner,
Government of Jammu and Kashmir,
Jammu.

HANS RAJ CHHABRA, Dy Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977